रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 2007/फाल्गुन 14, 1928
No. 92] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2007/PHALGUNA 14, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 173(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (प) और धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इन नियमों का नाम ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेखों के प्ररूप) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "संपरीक्षा अधिकारी" से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या ब्यूरो की संपरीक्षा और लेखा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "ब्यूरो" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो अभिप्रेत है;

(घ) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) "वित्त और लेखा अधिकारी" से ब्यूरो का वित्त और लेखा अधिकारी या वित्त और लेखा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो का सचिव अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हुए हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3. ब्यूरो के लेखे.–(1) ब्यूरो वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेगा। ब्यूरो का महानिदेशक अपने नियंत्रण लेखा तैयार करने के लिए वित्त और लेखा अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) ब्यूरो का सचिव, ब्यूरो के लेखा रखने, वित्तीय विवरण और विवरणी के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा के ब्यूरो के लेखाओं की संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित ब्यूरो के लेखा, लेखाओं, बहियों संबंधी वाउचरों और अन्य दस्तावेजों को उस अधिकारी के निपटान के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(3) ब्यूरो की शासकीय परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरणी और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणन के पश्चात् ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष के 15 नवम्बर तक या किसी अन्य तारीख तक, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) (क) ब्यूरो, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक द्वारा विहित वित्तीय विवरणों के सामान्य फार्मेट के अनुसार आवश्यक अनुसूचियों, लेखों पर टिप्पणों तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के साथ निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगा, अर्थात् :—

(i) प्ररूप-क में तुलनपत्र,

(ii) प्ररूप-ख में आय और व्यय लेखा,

(iii) प्ररूप-ग में प्राप्ति और भुगतान के लेखा।

(ख) अधिप्रमाणित 'रसीद और संदाय लेखा', 'आय और व्यय लेखा' और 'तुलन-पत्र' पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ब्यूरो का वित्त और लेखा अधिकारी, सचिव और महानिदेशक होगा।

(ग) ब्यूरो टिप्पण, अनुदेशों और वित्तीय विवरण के सामान्य फार्मेट ब्यौरे के अनुसार वित्तीय विवरण के संकलन के लिए लेखाकरण नीतियों के अनुसार तथा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करेगा।

4. **लेखाओं की संपरीक्षा** .—(1) वार्षिक लेखा विवरणी संपरीक्षा अधिकारी को उस अनुवर्त्ती वर्ष के जिससे लेखा संबंधित हैं, 30 जून को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षा अधिकारी ब्यूरो के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा और उस पर रिपोर्ट देगा।

(2) ब्यूरो संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें इंगित किए गए किसी दोष या अनियमितता के उपचार के लिए कार्रवाई करेगा और वार्षिक लेखा विवरणी, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई के टिप्पण सहित शासकीय परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) वार्षिक लेखा विवरणी, संपरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई सहित शासकीय परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदन सहित वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और उसे प्रत्येक वर्ष के 15 नवम्बर तक या किसी अन्य तारीख तक जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

प्ररूप क

[नियम 3(4)(क)(i) देखें]

31 मार्च को तुलन पत्र

(रकम-रुपये)

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
समग्र/पूंजीगत निधि	1	—	—
आरक्षित और अधिशेष	2	—	—
निश्चित/विनाम निधियां	3	—	—
चालू देयता और प्रावधान	4	—	—
अस्थगित प्रभार हानियां	5	—	

1	2	3	4
आस्तियां			
नियत आस्तियां	8	–	–
विनिधान–उदिष्ट/दान निधियों से	9	–	–
विनिधान–अन्य	10	–	–
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि प्रकीर्ण व्यय	11	–	–
(समायोजित अथवा उपलिखित न की गई सीमा तक)		–	–
कुल		–	–
सार्थक लेखागत नीतियां	25	–	–
आकस्मिक देयतायें और लेखों पर टिप्पण	26	–	–

प्ररूप ख

[नियम 3(4)(क)(ii) देखें]

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रकम-रुपये)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विक्रय/सेवाओं से आय	12	–	–
अनुदान/सहायतायें	13	–	–
फीस	14	–	–
विनिधान से आय	15	–	–
(अभिदाय/दान निधि से अन्य निधियों में हस्तांतरित किये गये विनिवेश पर आय)			
स्वामित्व, प्रकाशन आदि से आय	16	–	–
अर्जित ब्याज	17	–	–
अन्य आय	18	–	–
तैयार माल के स्टॉक और कार्य-प्रगति में बढ़ोत्तरी/(कमी)	19	–	–
कुल (क)		–	–
व्यय			
स्थापना व्यय	20	–	–
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	–	–
अनुदान/सहायता आदि पर व्यय	22	–	–
ब्याज	23	–	–
परीक्षण अवक्षयण (वर्ष के अंत में कुल जोड़-अनुसूची 8 की तत्स्थानी)	24	–	–
कुल (ख)			
आय का व्यय से अधिक होने के कारण (क-ख) शेष		–	–
विशेष रिजर्व में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		–	–
साधारण रिजर्व से/में हस्तांतरण		–	–
संग्रह/पूंजीगत निधि में अधिशेष (घाटे) को हस्तांतरित करने के कारण शेष		–	–
सार्थक लेखा नीतियां	25	–	–
आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पण	26	–	–

प्ररूप ग

[नियम 3(4) (क) (iii) देखें]

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(रकम रुपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. आरंभिक अतिशेष			**I. व्यय**		
(क) हाथ नकदी	–	–	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 की तत्स्थानी)	–	–
(ख) बैंक शेष	–	–	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 की तत्स्थानी)	–	–
(i) चालू खातों में	–	–			
(ii) जमा खातों में	–	–			
(iii) बचत खातों में	–	–			
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
(क) भारत सरकार से	–	–	(निधि या परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया जाए)		
(ख)राज्य सरकार से	–	–			
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी अनुदान और राजस्व व्यय को अलग-अलग से दर्शाए)	–	–			
III. निम्नलिखित से विनिधान पर व्यय			**III. किया गया विनिधान और जमा**		
(क) निश्चित/विन्यास निधि से	–	–	(क) निश्चित/विन्यास निधि में से	–	–
(ख) स्वयं की निधियों से (अन्य विनिधान)	–	–	(ख) स्वयं की निधियों से (अन्य विनिधान)	–	–
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. स्थिर आस्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय**		
(क) बैंक जमा पर	–	–	(क) स्थिर आस्तियों की खरीद	–	–
(ख) ऋण, अग्रिम आदि	–	–	(ख) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय	–	–
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	–	–	**V. अधिशेष धन/ऋणों की वापसी**		
			(क) भारत सरकार को	–	–
			(ख) राज्य सरकार को	–	–
			(ग) आय निधि के प्रदाताओं को	–	–
VI. उधार ली गई रकम	–	–	**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	–	–
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)	–	–	**VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)**	–	–
			VIII. अंतिम शेष		
			(क) हाथ नकदी	–	–
			(ख) बैंक अति शेष	–	–
			(i) चालू खातों में	–	–
			(ii) जमा खातों में	–	–
			(iii) बचत खातों में	–	–
			कुल	–	–

31 मार्च तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रकम-रुपये)

अनुसूची 1 संग्रह निधि/पूंजीगत निधि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष	–	–
जोड़ें : समग्र/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	–	–
जोड़े/(घटाए) आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित	–	–
आय/(व्यय) लेखा का शेष	–	–
वर्ष के अंत में शेष	–	–
अनुसूची 2–आरक्षिती और अतिशेष		
1. पूंजीगत आरक्षिती		
पिछले लेखा के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–
घटाएं – वर्ष के दौरान कटौतियां	(–)	(–)
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती		
अंतिम लेखा के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–
घटाएं – वर्ष के दौरान कटौतियां	(–)	(–)
3. विशेष आरक्षिती		
पिछले लेखा के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–
घटाएं – वर्ष के दौरान कटौतियां	(–)	(–)
4. साधारण आरक्षिती		
अंतिम लेखा के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–
घटाएं – वर्ष के दौरान कटौतियां	(–)	(–)
कुल		

(रकम-रुपये)

अनुसूची 3– निश्चित/विन्यास निधि	निधिवार ब्यौरा				जोड़	
	निधि ब ब	निधि भ भ	निधि म म	निधि य य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	–	–	–	–	–	–
(क) **निधियों का प्रारंभिक अतिशेष:**						
(ख) **निधियों में संवर्धन**	–	–	–	–	–	–
(i) संदान/ अनुदान	–	–	–	–	–	–
(ii) निधियों के मद्दे विनिधान से आय	–	–	–	–	–	–
(iii) अन्य संवर्धन	–	–	–	–	–	–
(प्रकार को विनिर्दिष्ट करें)	–	–	–	–	–	–
जोड़ (क+ख)	–	–	–	–	–	–
(ग) **निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय**	–	–	–	–	–	–
i. पूंजीगत व्यय	–	–	–	–	–	–
– नियत आस्तियां	–	–	–	–	–	–
– अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	–	–	–	–

IndiaCode

अनुसूची 3- निश्चित/विन्यास निधि	निधिवार ब्यौरा				जोड़	
ii. राजस्व व्यय	–	–	–	–	–	–
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	–	–	–	–	–	–
– किराया	–	–	–	–	–	–
– अन्य प्रशासनिक व्यय	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	–	–	–	–
जोड़ (ग)	–	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में कुल अतिशेष (क+ख+ग)	–	–	–	–	–	–

टिप्पण

(1) अनुदान के साथ दी गई शर्तों पर आधारित सुसंगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटन तैयार किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाए और इसे किसी अन्य निधि के साथ न मिलाए।

31 मार्च तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(रकम-रुपये)

अनुसूची 4-सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
3. वित्तीय संस्थाएं		
(क) आवधिक ऋण	–	–
(ख) ब्याज उदभूत और देय	–	–
4. बैंक		
(क) आवधिक ऋण	–	–
-ब्याज उदभूत और देय	–	–
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
-ब्याज उपार्जित और देय	–	–
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	–	–
6. डिबेंचर और बंधपत्र	–	–
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

टिप्पण-एक वर्ष के भीतर देय रकम।

(रकम-रुपये)

अनुसूची 5-असुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	–	–
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
3. वित्तीय संस्थाएं	–	–
4. बैंक :		
(क) आवधिक ऋण	–	–
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	–	–

IndiaCode

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	–	–
6. डिबेंचर और बंधपत्र	–	–
7. नियत निक्षेप		
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

टिप्पण-एक वर्ष के भीतर देय रकम।

अनुसूची 6- आस्थगित प्रव्यय दायित्व	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों को बंधक रख कर स्वीकृतियां	–	–
(ख) अन्य	–	–
कुल	–	–

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम।

(रकम-रुपये)

अनुसूची 7-चालू दायित्व और उपबंध	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. चालू दायित्व		
1. स्वीकृतियां	–	–
2. विविध लेनदार		
(अ) माल के लिए	–	–
(ब) अन्य	–	–
3. प्राप्त अग्रिम	–	–
4. ब्याज उदभूत किंतु देय नहीं		
(अ) सुरक्षित ऋण/उधार	–	–
(ब) असुरक्षित ऋण/उधार	–	–
5. कानूनी दायित्व		
(अ) अतिदेय	–	–
(ब) अन्य	–	–
6. अन्य चालू दायित्व	–	–
कुल (क)	–	–
ख. उपबंध		
1. करारोपण के लिए	–	–
2. उपदान	–	–
3. अधिवर्षिता/पेंशन	–	–
4. संचित छुट्टी के बदले नकद भुगतान	–	–
5. ट्रेड वारंटी/दावे	–	–
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल (ख)	–	–
कुल (क+ख)	---	---

IndiaCode

अनुसूची 8 स्थिर आस्तियां

(राशि रुपये)

वर्णन	सकल ब्लॉक				अवक्षयण				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभि- वृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान अनुदान आस्तियों को छोड़ कर	मूल्यांकन परिसमाप्ति पर (अनुदान) (तुलनपत्र में सम्मिलित	वर्ष के अंत में जोड़	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर
क. नियत अस्तियां										
1. भूमि										
(क) फ्री होल्ड	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(ख) पट्टाधृति	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
2. भवन										
(क) पूर्ण फ्री होल्ड भूमि पर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(ख) पट्टाधृत भूमि पर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(ग) स्वामित्व भवन/परिक्षेत्र	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(घ) अस्तित्व से असंबंधित भूमि पर अधिसंरचना	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
3. संयंत्र मशीनरी और उपस्कर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
4. वाहन	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
5. फर्नीचर फिक्चर्स	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
6. कार्यालय उपस्कर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
7. कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर पैरिफेरल	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
8. वैद्युत संस्थापन	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
10. ट्यूवैल और जल आपूर्ति	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य स्थिर परिसंपत्तियां	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का योग	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
पूर्व वर्ष	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
ख. पूंजीगत कार्य-प्रगति	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–

(किराया-क्रय के आधार पर आस्तियों की लागत ऊपर सम्मिलित करके टिप्पणी दी जाए)

IndiaCode

(रकम-रुपये)

अनुसूची 9-निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3. शेयर	–	–
4. डिबेंचर और बंध-पत्र	–	–
5. सहायता और संयुक्त उद्यम	–	–
6. अन्य (विनिर्दिष्ट)		
जोड़		

अनुसूची 10-विनिधान अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3. शेयर	–	–
4. डिबेंचर और बंध-पत्र	–	–
5. सहायता और संयुक्त उद्यम	–	–
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएं)	–	–
जोड़	–	–

(रकम-रुपये)

अनुसूची 10-चालू आस्तियां, ऋण अग्रिम अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. चालू आस्तियां		
1. तालिका		
(अ) भंडार एवं स्पेयर्स	–	–
(ब) खुले उपकरण	–	–
(ब) व्यापार स्टाक		
तैयार माल	–	–
कार्य-प्रगति	–	–
कच्ची सामग्री	–	–
2. विविध देनदार		
(अ) छः मास से अधिक की अवधि के ऋण	–	–
(ब) अन्य	–	–
3. हाथ में नकद शेष (बैंक/ड्राफ्ट और अग्रदान समेत)	–	–
4. बैंक शेष		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खातों पर	–	–
– जमा खातों पर (मार्जिन धन समेत)	–	–
– बचत खातों पर	–	–

726GI/07–2

IndiaCode

(रकम-रुपये)

अनुसूची 10-चालू आस्तियां, ऋण अग्रिम अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खातों पर	–	–
– जमा खातों पर (मार्जिन धन समेत)	–	–
– बचत खातों पर	–	–
5. डाकघर-बचत खाता	–	–
जोड़ (क)	–	–

(राशि रुपये)

अनुसूची 11-चालू आस्तियां, ऋण अग्रिम आदि (क्रमागत)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ख. ऋण अग्रिम और अन्य आस्तियां		
1. ऋण		
(क) कर्मचारिवृंद	–	–
(ख) इस अस्तित्व के समान गतिविधियों/उद्देश्य में संलग्न अन्य अस्तित्व	–	–
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
2. अग्रिम और नकद या दान में वसूली योग्य धनराशि या प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		
(अ) पूंजीगत लेखा पर	–	–
(ब) पूर्व-अदायगी	–	–
(स) अन्य		
3. उद्भूत आय		
(अ) निश्चित/विन्यास निधि से निवेश पर	–	–
(ब) विनिधान पर-अन्य	–	–
(स) ऋण और अग्रिम पर	–	–
(द) अन्य	–	–
(इसमें वसूल न की गई सम्यक रकम रुपयेसम्मिलित)		
4. प्राप्य दावे	–	–
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		

(रकम-रुपये)

अनुसूची 12-विक्रय/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1) विक्रय से आय		
(क) तैयार माल का विक्रय	–	–
(ख) तैयार माल का विक्रय	–	–
(ग) रद्दी माल का विक्रय	–	–

IndiaCode

(रकम-रुपये)

अनुसूची 12-विक्रय/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
2. सेवाओं से आय		
(क) श्रम और प्रक्रिया प्रभार	–	–
(ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	–	–
(ग) अभिकरण कमीशन और दलाली	–	–
(घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	–	–
(ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल		

अनुसूची 13 अनुदान समनुषंगी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त समनुषंगी)	–	–
1. केन्द्रीय सरकार	–	–
2. राज्य सरकार(रें)	–	–
3. सरकारी अभिकरण	–	–
4. संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	–	–
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	–	–
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल		

(रकम-रुपये)

अनुसूची 14-फीस/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश फीस	–	–
2. वार्षिक फीस/अभिदान	–	–
3. सेमिनार/कार्यक्रम फीस	–	–
4. परामर्श शुल्क	–	–
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

टिप्पण–प्रत्येक मद संबंधी लेखा नीतियां प्रकट की जाएं ।

(रकम-रुपये)

अनुसूची 15-विनिधान से आय

	निश्चित निधि से विनिधान		निवेश-अन्य	
निश्चित/विन्यास निधि के विनिधन को अन्य निधियों में हस्तांतरित करने पर आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज	–	–	–	–
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	–	=	–	–
(ख) अन्य बंध पत्र (डिबेंचर)	–	=	–	–
2. लाभांश				
(क) शेयर पर	–	=	–	–
(ख) पारस्परिक निधि प्रतिभूतियों पर	–	=	–	–
3. किराया	–	=	–	–
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	=	=	–
कुल	–	=	=	–
निश्चित/विन्यास निधि में अंतरित	=	=	=	–

IndiaCode

(रकम-रुपए)

अनुसूची-16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) स्वामित्व से आय	–	–
(ख) प्रकाशन से आय	–	–
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
जोड़		

अनुसूची-17 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आवधिक जमाओं पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	–	–
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	–	–
(ग) संस्थाओं के साथ	–	–
(घ) अन्य	–	–
2. बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	–	–
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	–	–
(ग) डाकघर बचत खाते	–	–
(घ) अन्य	–	–
3. ऋणों पर		
(क) कर्मचारी/कर्मचारी वर्ग	–	–
(ख) अन्य	–	–
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	–	–
कुल	–	–

नोट :–स्रोतों पर काटे गए कर निर्दिष्ट करें।

अनुसूची-18 अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. विक्रय पर लाभ/आस्तियों निपटान		
(क) स्वामित्व वाली आस्तियां	–	–
(ख) निःशुल्क प्राप्त लागत या अनुदानों से अर्जित आस्तियां	–	–
2. वसूल किया गया निर्यात प्रोत्साहन	–	–
3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस	–	–
4. प्रकीर्ण आय		
कुल	–	–

अनुसूची-19 तैयार माल का स्टॉक और कार्य प्रगति में बढ़ोत्तरी/(कमी)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) बंद स्टॉक	–	–
–तैयार माल	–	–
–कार्य प्रगति	–	–
(ख) घटाएं–प्रारंभिक स्टॉक	–	–
–तैयार माल	–	–
–कार्य प्रगति	–	–
निवल बढ़ोत्तरी/कमी (क-ख)		

IndiaCode

(रकम-रुपये)

अनुसूची 20–स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
(क) वेतन और मजदूरी	–	–	–	–
(ख) भत्ते और बोनस	–	–	–	–
(ग) भविष्य निधि में अंशदान	–	–	–	–
(घ) अन्य निधियों के अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
(ङ) कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय	–	–	–	–
(च) कर्मचारी सेवा निवृत्ति और सेवांत हितलाभ पर व्यय	–	–	–	–
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	–

(रकम-रुपये)

अनुसूची 21–अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
(क) खरीद	–	–	–	–
(ख) श्रम और प्रक्रिया व्यय	–	–	–	–
(ग) ढुलाई और वहन इनवर्ड	–	–	–	–
(घ) विद्युत और बिजली	–	–	–	–
(ङ) जल प्रभार	–	–	–	–
(च) बीमा	–	–	–	–
(छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	–	–	–	–
(ज) उत्पाद शुल्क	–	–	–	–
(झ) किराया, दरें और कर	–	–	–	–
(ञ) चालू वाहन और रखरखाव	–	–	–	–
(ट) डाक, टेलीफोन एवं संचार प्रभार	–	–	–	–
(ठ) छपाई और लेखन सामग्री	–	–	–	–
(ड) यात्रा और वाहन व्यय	–	–	–	–
–ओवरसीज समिति	–	–	–	–
–अधिकारी और कर्मचारिवृन्द के सदस्य	–	–	–	–
-समिति सदस्य	–	–	–	–
(ढ) सेमिनार और कार्यशाला पर व्यय	–	–	–	–
(ण) अशंदान व्यय	–	–	–	–
(त) फीस पर व्यय	–	–	–	–
(थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	–	–	–	–
(द) सत्कार पर व्यय	–	–	–	–
(ध) वृत्तिक प्रभार	–	–	–	–
(न) डूबंत और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिम के उपबंध	–	–	–	–
(प) समाप्त किए गए अपलिखित बकाया	–	–	–	–
(फ) पैकिंग प्रभार	–	–	–	–
(ब) मालभाड़ा व अग्रेषण व्यय	–	–	–	–
(भ) वितरण व्यय	–	–	–	–
(म) प्रचार एवं प्रसार	–	–	–	–
(य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
कुल	–	–	–	–

IndiaCode

(रकम-रुपये)

अनुसूची 22–अनुदानों, सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	–	–
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	–	–
कुल	–	–

टिप्पण-अस्तित्व के नाम के साथ अनुदान/सहायता की रकम को प्रकट करें

अनुसूची-23 ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) नियत ऋणों पर	–	–
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	–	–
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

अनुसूची 24–परीक्षण पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) बाहरी प्रयोगशालाओं को दी गई परीक्षण फीस	–	–
(ख) बाजार नमूना	–	–
(ग) प्रयोगशाला सहित ओर स्टोर्स	–	–
जोड़	–	–

अनुसूची 25–महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (उदाहरणार्थ)

(1) लेखा कन्वेंशन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कनवेंशन के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कथन किया जाए और लेखा को संभूति प्रणाली पर तैयार किए जाते हैं।

(2) तालिका मूल्यांकन

2.1 स्टोर और स्पेयर (मशीनरी स्पेयर सहित) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

2.2 कच्ची सामग्री, अर्ध कच्ची सामग्री तथा तैयार माल न्यूनतम मूल्य और शुद्ध विश्वसनीय लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं। लागत नापे गये औसतन लागत पर आधारित है। तैयार माल और अर्ध रूप से तैयार माल की लागत सामग्री, श्रम और संबंधित उपरिव्ययों द्वारा अवहारित किया जाता है।

(3) विनिधान

3.1 "दीर्घकालिक विनिधान" के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से भिन्न अन्य गिरावट के लिए उपबंध ऐसे विनिधान की लागत में किए जाते है।

3.2 "करेंट" के रूप में वर्गीकृत विनिधान न्यूनतम लागत और उचित कीमत पर किए जाते हैं। ऐसे विनिधानों के मूल्य पर [illegible] हेतु उपबंध व्यक्तिगत तौर पर माने गये प्रत्येक विनिधान के लिए किया जाता है। न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टैम्प जैसे अधिग्रहण व्यय सम्मिलित हैं।

(4) उत्पाद शुल्क

निर्यात से अन्य अस्तित्व द्वारा उत्पादित माल के संबंध में उत्पाद शुल्क हेतु देयता का हिसाब उत्पादन के पूरा होने पर लगाया जाता है और वर्ष के अंत में शुल्क योग्य उत्पादित वस्तुओं के लिए उपबंध किया जाता है।

(5) नियत आस्तियां

5.1 नियत आस्तियां इनवर्ड भाड़ा, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित अनुषांगिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित अधिग्रहण के मूल्य पर निश्चित किए जाते हैं। संनिर्माण की परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व प्रचालगत व्यय (अपनी पूर्णता से पूर्व विशेष परियोजना हेतु ऋणों पर ब्याज सहित), पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग होते हैं।

5.2 गैर-आर्थिक अनुदानों (समग्र निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियाँ पूंजी आरक्षित में तत्संबंधी प्रविष्टि में कथित पर पूंजीगत की जाती है।

(6) अवक्षयण

6.1 मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा बदलने के कारण उत्पन्न होने वाले मूल्य समझौतों पर मूल्यांकन के सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा प्रणाली पर उपलब्ध कराया जाता है। अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु देयताएं जो संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशिष्ट जीवन पर परिशोधित किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में अभिवृद्धियां/से कटौतियों के संबंध में, अवक्षयण प्रोरेटा आधार पर माना जाता है।

6.3 प्रत्येक 5000 रुपये या कम के मूल्य की आस्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती है।

IndiaCode

(7) **प्रकीर्ण व्यय**

आस्थगित राजस्व व्यय उपगत किए गए वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए अपलिखित किया जाता है।

(8) **विक्रय के लिए लेखा**

विक्रय में उत्पाद शुल्क और विक्रय रिटर्न, रिबेट और व्यापार छूट का शुद्ध मूल्य है।

(9) **सरकारी अनुदान अथवा सहायता**

9.1 परियोजनाएं स्थापित करने के पूंजीगत लागत के संबंध में अंशदान प्रकृति के सरकारी अनुदान पूंजी आरक्षित के रूप में माने जाते हैं।

9.2 प्राप्त विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों से संबंधित अनुदान, संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाए गए हैं ।

9.3 सरकारी अनुदान/सहायता का हिसाब वसूली के आधार पर लगाया जाता है ।

(10) **विदेशी मुद्रा संव्यवहार**

10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहार का हिसाब संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित संव्यवहार दर पर किया जाता है।

10.2 चालू आस्तियां, विदेशी मुद्रा, ऋण और चालू दायित्व वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और परिणामस्वरूप लाभ/हानि निर्धारित आस्तियों के मूल्य में समायोजित की जाती हैं, यदि विदेशी मुद्रा देयता निर्धारित आस्तियों से संबंधित होती है और अन्य मामलों में राजस्व [illegible] जाता है।

(11) **पट्टा**

लीज किराया, लीज निबंधनों के अनुसार व्यय किए जाते हैं।

(12) **सेवानिवृत्ति फायदा**

12.1 कर्मचारियों के सेवांत/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त होती है।

12.2 कर्मचारियों को अर्जित एकत्रित छुट्टी फायदा का उपबंध इस धारणा पर प्राप्त तथा उद्भूत किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

अनुसूची-26 आकस्मिक दायित्व एवं लेखा पर टिप्पण (उदाहरणार्थ)

1. **आकस्मिक दायित्व**

1.1 रुपये (पूर्व वर्ष रुपये) के ऋण के रूप में स्वीकृत न किए गए अस्तित्व के विरुद्ध दावे।

1.2 निम्नलिखित के संबंध में

अस्तित्व द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी रुपये (पूर्व वर्ष रुपये)

बैंक के साथ कटौती किए बिल रुपये (पूर्व वर्ष रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें :–

आयकर रुपये (पूर्व वर्ष रुपये)

विक्रय कर रुपये (पूर्व वर्ष रुपये)

नगरपालिका कर रुपये (पूर्व वर्ष रुपये)

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन हेतु पक्षकारों के दावों के संबंध में किंतु जो अस्तित्व द्वारा किए गए रुपये (पूर्व वर्ष रुपये)

2. **पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**

पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेकों का प्राक्कलित मूल्य और, रुपये पर उपलब्ध नहीं है।

3. **पट्टा बाध्यता**

संयंत्र एवं मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टे की प्रबंध के अंतर्गत रेंटल के लिए भावी बाध्यता रुपये की कोटि में आते हैं (पूर्व वर्ष रुपये)

4. **चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम**

प्रबंधन के विचार में, चालू अस्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशियों की कीमत कारबार के साधारण क्रम में वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर है।

5. करांधान

आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कोई कर योग्य आय न होने को ध्यान में रखते हुए, आय कर के लिए किसी उपबंध को अनिवार्य नहीं माना गया है।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार (रकम-रुपये)

6.1 सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य वर्तमान वर्ष-पूर्व वर्ष
- निर्मित वस्तुओं की खरीद
- कच्ची सामग्री एवं संघटक (इन ट्रांजिट सहित)
- पूंजीगत वस्तुएँ
- भंडार, स्पेयर और खपत योग्य सामग्री

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

(क) यात्रा

(ख) विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को भेजी गई रकम तथा ब्याज भुगतान

(ग) अन्य व्यय

विक्रय पर कमीशन

विधिक और वृत्तिक व्यय

प्रकीर्ण व्यय

6.3 उपार्जन

एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य

6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक
- लेखापरीक्षकों के रूप में
- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंधन सेवा के लिए
- प्रमाणपत्र के लिए

अन्य

7. पिछले वर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़ों को पुनर्ग्रुप/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, जहां आवश्यक हो।

8. सूची 1 से 26 तक संलग्न की गई है और पर तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अ एवं व्यय लेखा का आंतरिक भाग है।

वित्तीय कथनों के संकलन के लिए टिप्पण, अनुदेश एवं लेखा सिद्धांत

1. वित्तीय वितरण (अर्थात् तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखा) प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया जाएगा और सुझाए गए रूप में ह अथवा जितना संभव हो सके उसके समीप होगा।

यदि इस प्ररूप में किसी मद अथवा उप-मद के अंतर्गत दी गई किसी अपेक्षित सूचना को, यथास्थिति, तुलनपत्र अथवा आय और व लेखे में ही सुविधाजनक रूप से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो इसे तुलनपत्र अथवा आय एवं व्यय लेखे के साथ जोड़े जाने वाले त उसके भाग के रूप में इससे उपाबद्ध पृथक सूची अथवा सूचियों में दिया जा सकता है। जहां मदें अनेक हों वहां इसकी सिफारिश की जाती

2. तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा तैयार करने में सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कि जाएगा और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन एक ही स्थान पर होना चाहिए। लेखा नीतियों का तात्पर्य विशेष लेखा नीतियों तथा वि विवरणों की तैयारी में अस्तित्व द्वारा अपनाए जाने वाले इन सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया से है। यदि कोई लेखा नीति लेखा मानकों अनुरूप नहीं है और लेखा मानकों से विचलन का प्रभाव आर्थिक है तो विचलन के ब्यौरे उसके कारणों सहित तथा वित्तीय प्रभाव सहित दश जाएंगे। केवल वही नहीं जहां ऐसा प्रभाव निश्चित नहीं होता है।

3. लेखा नीतियां एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष तक लगातार लागू की जाएंगी। लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन जिसका वर्त अवधि में तात्विक प्रभाव है अथवा बाद की अवधियों में तात्विक प्रभाव पड़ने की युक्तियुक्त संभावना है, दर्शाया जाएगा। वर्तमान अवधि महत्वपूर्ण प्रभाव वाली लेखा नीतियों में किसी परिवर्तन के मामले में, वह राशि जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों में कोई मद किसी परिवर्तन द्व प्रभावित है, उसे भी अभिनिश्चित सीमा तक प्रकटन किया जाएगा। जहां ऐसी राशि पूर्णत: या अशंत: अभिनिश्चित नहीं है वहां इस तथ्य प्रकटन किया जाएगा।

4. तुलनपत्र में लेखा उपचार एवं प्रतिनिधित्व और आय और विनिमय एवं संव्यवहार तथा घटनाओं का व्यय लेखा उनके सारांश द्व शासित किया जाएगा और न केवल विधिक तरीके से ही शासित किया जाएगा।

5. लेखा उपचार एवं तुलनपत्र में किसी मद को दर्शाने के तरीके और/अथवा आय एवं व्यय लेखा के निर्धारण में, तात्विकता अवधारणा को सम्यक रूप से मान्यता दी जाएगी।

6. सभी ज्ञात दायित्व एवं हानियों के लिए उपबंध किया जाएगा यद्यपि राशि वास्तविक शुद्धता से निर्धारित न की जा सके (और उप की राशि उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए केवल सर्वोत्तम प्राक्कलन दर्शाती है)।

"उपबंध" से अस्तित्व के मूल्य में ह्रास नवीकरण अथवा कमी के लिए उपबंध द्वारा लिखी गई अथवा जारी रखी गई कोई राशि और वि ज्ञात देयता की व्यवस्थाओं के माध्यम से जारी रखी गई राशि, जिसकी राशि को वास्तविक शुद्धता से निर्धारित नहीं किया जाता है, अभिप्रेत है।

आकस्मिक हानि के लिए उपबंध किए जाएंगे यदि:–

(क) यह सम्भाव्य है कि भावी घटनाएं इस बात की पुष्टि करेंगी कि किसी भी संबंधित संभाव्य वसूली को ध्यान में रखते हुए आस्ति को कम कर दिया गया है अथवा तुलनपत्र की तारीख पर दायित्व का वहन किया गया, और

(ख) परिणामस्वरूप हानि की राशि का युक्तियुक्त प्राक्कलन किया गया है।

यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं होती है तो आकस्मिक हानि की अस्तित्व आय एवं व्यय लेखे के टिप्पण के माध्यम से दर्शाया जाएगा, जब तक कि हानि की संभावना दूर न हो।

7. जहां कोई राशि आस्ति के मूल्य में ह्रास, नवीकरण एवं कमी द्वारा अपलिखित अथवा जारी की जाती है या किसी ज्ञात दायित्व की व्यवस्था द्वारा जारी रखी जाती है जो उस राशि से अधिक है जो कि इस प्रयोजन के लिए उचित रूप से अनिवार्य मानी जाती है तो यह अधिक राशि आरक्षित के रूप में मानी जाएगी, उपबंध के रूप में नहीं।

8. राजस्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि:–

(क) संबंधित निष्पादन प्राप्त नहीं कर लिया गया है।

(ख) प्रतिफल की राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, और

(ग) वसूली एवं अंतिम संग्रहीकरण की आशा करना गैर-युक्तियुक्त नहीं है।

9. निम्नलिखित के संबंध में आय एवं व्यय लेखे में पृथक प्रकटन किया जाएगा:–

(क) 'पूर्व अवधि' मद जिसमें आय अथवा व्यय की तात्विक मद सम्मिलित है जो एक या अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या लोपों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती है।

(ख) ''असाधारण'' मदें जो आय अथवा व्यय की महत्वपूर्ण मदें हैं जोकि घटनाओं एवं संव्यवहार से उत्पन्न होती है जो अस्तित्व की सामान्य गतिविधियों से स्पष्ट रूप से पृथक है और इसलिए बारंबार अथवा निरंतर होने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) ''प्रकीर्ण व्यय'' के शीर्ष के अंतर्गत कोई मद जो अस्तित्व की कुल आवर्त/सकल आय के 1 प्रतिशत या 50,000 रुपये से अधिक है, जो भी अधिक है। इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयुक्त लेखा शीर्ष के विपरीत दर्शाया जाएगा।

(घ) ''प्रकीर्ण व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत कोई मद जो अस्तित्व की कुल आवर्त/सकल आय के 1 प्रतिशत या 50,000 रुपये से अधिक है, जो भी उच्चतर है। इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयुक्त लेखा शीर्ष के विपरीत पृथक एवं भिन्न मद के रूप में दर्शाया जाएगा।

10. प्ररूप में निर्दिष्ट अनुसूचियां, लेखा नीतियां तथा स्पष्टीकारक टिप्पण वित्तीय विवरणों का आंतरिक भाग बनाएंगे।

11. तुलनपत्र एवं आय तथा व्यय लेखे के टिप्पण में तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखे में मद से संबंधित स्पष्टीकरण तात्विक सामग्री अंतर्विष्ट होगी।

12. तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखे में आंकड़े यदि पूरे कर लिए गए हैं तो निम्नलिखित के रूप में पूरे किए जाएंगे :–

आवर्त की रकम (रुपये में)	(रुपये) तक पूरा करना
एक लाख से कम	सौ
एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम	हजार
एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम	लाख
सौ करोड़ या उससे अधिक किंतु एक हजार करोड़ से कम	करोड़

13. सुझावित फारमेट के संबंध में संकलन के लिए संलग्न टिप्पण एवं अनुदेशों के प्रति भी निर्देश किया जाए।

अनुसूचियों के लिए टिप्पण और अनुदेश

संग्रह/पूंजी निधि एवं दायित्व

अनुसूची-1 संग्रह/पूंजी निधि

(क) संग्रह/पूंजी निधि, पूंजी शेयर पूंजी अथवा स्वामी के कोष से संबंधित है। उसमें आय एवं व्यय लेखे में दर्शित शुद्ध प्रचालन परिणामों द्वारा बढ़े/घटे (आरक्षित अथवा चिन्हित कोष में अंतरित किसी अधिशेष को छोड़कर)।

(ख) संग्रह/पूंजी निधि की प्रारंभिक शेष, इसमें परिवर्धन इससे कटौती तथा अंतिम शेष को इस शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा।

(ग) संग्रह निधि में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, तो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अथवा लागू विनियमों के अनुसार किसी आरक्षित अथवा चिन्हित कोष में आरंभ से अंतरित होंगे ।

संग्रह/पूंजी निधि और बाध्यताएं

अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष

1. पूंजी आरक्षित:

- प्रारम्भिक शेष - वर्ष के दौरान परिवर्द्धन - वर्ष के दौरान कटौतियां	'पूंजी आरक्षित' की अभिव्यक्ति में आय एवं व्यय लेखे के द्वारा नि:शुल्क वितरण से संबं कोई राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी । पुन: मूल्यांकन के अधिशेष को पूंजी आरक्षित के में माना जाए तथा पृथक रूप से दर्शाया जाए । विदेशी शाखाओं के वित्तीय वितरण के दौ परिवर्द्धन के वित्तीय विवरण के अंतरण के अधिशेष, यदि कोई हो तो, पुन: मूल्यांकन आर नहीं है ।

2. पुन: मूल्यांकन आरक्षित :

- प्रारम्भिक शेष - वर्ष के दौरान परिवर्द्धन - वर्ष के दौरान कटौतियां	परिवर्तनीय कीमतों के प्रभाव को दर्शाने के लिए अथवा आस्तियों, जिन्हें दूसरे रूप ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है, का पुन: मूल्यांकन किया जाता है तथा पुन: मूल्यां द्वारा स्थानापन्न ऐतिहासिक लागत सामान्यतया सक्षम मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा तय की ज परिणामस्वरूप आय पुन: मूल्यांकित ऐसे स्थानापन्न को "पुन: मूल्यांकन आरक्षित" रूप में दर्शाया जाना होता है । यह आरक्षित अवसूलीकृत प्राप्ति होता है तथा इसे आय ए व्यय लेखे में आय के रूप में जमा नहीं किया जाना चाहिए ।

3. विशेष आरक्षित:

- प्रारम्भिक शेष - वर्ष के दौरान परिवर्द्धन - वर्ष के दौरान कटौतियां	इसमें तत्व पर लागू किसी सांविधिक अथवा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्था किए जाने के लिए सम्मिलित अपेक्षित, विशेष आरक्षित हो सकते हैं तथा यदि ऐसा हो तो अनुसूची 27 में लेखों पर टिप्पणियों में स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

4. साधारण आरक्षित:

- प्रारम्भिक शेष - वर्ष के दौरान परिवर्द्धन - वर्ष के दौरान कटौतियां	"साधारण आरक्षित" अभिपद का अर्थ है पूंजी आरक्षित तथा पुन: मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर कोई भी अन्य आरक्षित । इस मद में अलग से वर्गीकृत किए गए आरक्षित को छोड़कर शेष सारे आरक्षित सम्मि होंगे ।

टिप्पणियां - साधारण

(क) आरक्षितों के वर्गों का संचालन उसी प्रकार से दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) "आरक्षित" की अभिव्यक्ति में ऐसी कोई राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया हो अथ मूल्यह्रास काटते हुए प्रतिपादित किया गया हो । आस्तियों के मूल्य को नवीकृत अथवा ह्रास करे अथवा किसी अज्ञात दायित्व लिए प्रबंध करते हुए प्रतिपादित किया गया हो ।

अनुसूची-3 निश्चित/विन्यास निधियां

अनुदान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु अस्तित्व प्रतिपादित तथा शेष बची राशि को जिस विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए यह विचारित है, के लिए खर्च/उपयोग की जानी हो, को इस शीर्ष के तहत् प्र किया जाना अपेक्षित है । ऐसे कोष सरकार, सरकारी अभिकरणों, संस्थानों अथवा अन्य अभिकरणों आदि के नकद अथवा सामान के रूप में प्र किए जाएं तथा अनुबद्ध निश्चित शर्तों एवं निबंधन के तहत् अस्तित्व द्वारा इनका अनुपालन किए जाने की शर्तों के अधीन है । इस कारण उपलब्ध शेष तथा इसके उपयोग को अनुसूची में सुझावगत ढंग से प्रकट किया जाना चाहिए । केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त योजना नि को निधि पृथक वर्ग के रूप में दर्शाया जाना होता है ।

किसी पद, गृह, भवन, न्यास आदि के लिए निश्चित/प्रदान विचारित की गई अन्य योजना निधि को कोष के पृथक वर्ग के रूप में दर्शाया जाना होता है ।

निम्नलिखित की गणना, निश्चित निधि के भाग के रूप में नहीं की जाएगी ।

(क) ऐसे अनुदान/निधि जिनमें प्रोत्साहक योगदान के गुण हो, जो संग्रह निधि में परिवर्धन/सहवर्धन करने वाले हों;

(ख) गत वर्षों में हुए व्यय/हानियों के लिए प्रतिकर के रूप में सत्ता द्वारा प्राप्त निधि/अनुदान क्योंकि इनकी गणना केवल उस वर्ष के आय एवं व्यय लेखे में की जानी है ।

(ग) पूंजी आस्तियों अथवा अन्य स्रोतों के रूप में गैर-वित्तीय अनुदायों जब तक ऐसे अनुदान को, संग्रह अप्रत्यादेय अंशदान के रूप में विनिर्दिष्ट न किया गया हो जिनके तत्स्थायी जमा पूंजी आरक्षित प्रकार की है ।

टिप्पणियां-साधारण

(क) यह सुनिश्चित किया जाना समुचित है कि निश्चित निधि की अनुवृद्धि तथा उपयोग इससे संलग्न निबंधन और शर्तों के अनुसार हों ।

(ख) निश्चित निधि प्रतिनिधित्व उनकी प्रकृति को देखते हुए विनिर्दिष्ट रूप से निश्चित विनिधान अथवा अन्य आस्तियों के द्वारा किया जाता है ।

(ग) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त नियोजन कोष को अलग पृथक कोष के रूप में दर्शाया जाना होता है तथा इसे अन्य किसी भी कोष के साथ नहीं मिलाया जाना होता है ।

(घ) प्रत्येक चिन्हित निधि के लिए उपार्जित/निर्मित नियम आस्तियों से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना चाहिए । तथापि, वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रयोजन से ऐसी नियत आस्तियां यदि आस्ति को संरक्षण में ले लिया जाए तथा अनुसूची-8 में सम्मिलित न कर लिया जाए तो तथा प्रत्येक वर्ष की संपूर्ण संचित लागत का विवरण दिया जाए ।

अनुसूची-4 प्रतिभूति ऋण और उधार

1. केंदीय सरकार	प्रतिभूति की प्रकृति तथा पुनर्भुगतान की शर्तें राज्य सरकार का नाम तथा प्रतिभूति की प्रकृति एवं पुनर्भुगतान की शर्तें उपदर्शित करें ।
2. राज्य सरकार	
3. वित्तीय संस्थाएं	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात, आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (भागीदारी प्रमाण-पत्र के दायित्व, यदि कोई हो तो, सहित) सम्मिलित है ।
4. बैंक	वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से प्राप्त किए गए उधार/पुनर्वित सम्मिलित हैं । आवधिक ऋणों को अन्य सुविधाओं से पृथक किए जाने की आवश्यकता है ।
(क) आवधिक ऋण	
(ख) अन्य ऋण	
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	उपरोक्त वर्णित संस्थाएं/अभिकरण सम्मिलित हैं ।
6. ऋण पत्र एवं बंध पत्र	डिबेंचर एवं बंध पत्र की छूट की शर्तें अपने मोचन की पूर्व तारीख के साथ दर्शायी जानी चाहिए ।

टिप्पण-साधारण

(क) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति के संबंध में प्रत्येक मामले में सूचना दी जाएगी ।

(ख) प्रतिभूति ऋण एवं उधार उतना होगा जिसका अस्तित्व की आस्तियों पर आडमान/गिरवी/प्रभार के विरुद्ध है ।

(ग) प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत ऋणों की सकल रकम जो केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा गारंटी की गई है को भी इस तथ्य के साथ वर्णित किया जाए कि इन्हें ऐसा गारंटीकृत किया गया है ।

(घ) ऋणों एवं उधारों में संस्थाओं एवं अभिकरणों से पुनर्वित और भागीदारी प्रमाण पत्रों के लिए देयता सम्मिलित है ।

(ङ) देनदारों अथवा प्राप्तियों की छूट या बिलों की पुन: छूट के माध्यम से प्राप्त राशि को उधार के रूप में नहीं दर्शाया जाएगा ।

(च) प्राप्त तथा शेष ब्याज को प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा । शेष को छोड़कर प्राप्त ब्याज को इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा किंतु वर्तमान में बाध्यताओं के रूप में दर्शाया जाएगा ।

(छ) क्रेडिट में असहमत आंतरिक शाखा बकाया प्रविष्टियां उधार के रूप में नहीं दर्शायी जानी चाहिए ।

(ज) तुलना पत्र की तारीख पर 12 माह से कम तक ही अवधि के भीतर शेष रकम को दर्शाए जाने की आवश्यकता है ।

अनुसूची-5 गैर-प्रतिभूति ऋण और उधार

1.	केंद्रीय सरकार	पुनर्भुगतान की शर्तें उपदर्शित करना
2.	राज्य सरकार (सरकारें)	राज्य सरकारें का नाम तथा पुनर्भुगतान की शर्तें उपदर्शित करना ।
3.	वित्तीय संस्थाएं	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट से प्राप्त उधार सम्मिलित है । साधारणतया ये अवधि ऋणों के रूप में हो सकते हैं, आस्तियों पर प्रभार के सृजन के लम्बन, ब्रिज ऋणों को गैर-प्रतिभूति ऋणों के रूप में देखा जा सकता है ।
4.	बैंक	वाणिज्यिक बैंकों (को-ओपरेटिव बैंक) से प्राप्त किए उधार सम्मिलित हैं । सुविधाओं की प्रकृति उपदर्शित करना । किताबों के अनुसार निकाली गई शेष राशियों में ऋण नहीं आते और नहीं शेष की अधिकता में जारी किए गए चैकों के कारण उत्पन्न होते हैं ।
5.	अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	उपरोक्त वर्णित से भिज्ञ अन्य संस्थाएं/अभिकरणों से ऋण सम्मिलित हैं ।
6.	ऋण पत्र एवं बंध पत्र	ऋण पत्रों एवं बंध पत्र की छूट की शर्तें अपनी छूट की पूर्वतम तारीख के साथ दर्शायी जानी चाहिए ।
7.	नियत जमा	इनमें नियत अवधि के लिए तथा बिना किसी प्रतिभूति के सार्वजनिक या अन्य तरीके से प्राप्त जमा राशियां सम्मिलित हैं ।

टिप्पण-साधारण

(क) असुरक्षित ऋण एवं उधार में वे राशियां सम्मिलित हैं जिसके संबंध में अस्तित्व की किसी भी आस्ति को प्रतिभूति के रूप में चार्ज नहीं किया गया है अथवा विल्लंगमित नहीं किया गया है ।

(ख) उद्भूत एवं सम्यक् ब्याज को प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा । प्राप्त ब्याज जो कि बकाया नहीं है, को इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा किंतु चालू दायित्वों के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा ।

(ग) तुलन पत्र की तारीख पर 12 महीने से कम की अवधि के भीतर बकाया राशि को प्रकट किए जाने की आवश्यकता है ।

अनुसूची-6-आस्थगित प्रव्यय दायित्व

(1) आस्तियों के अधिअर्जन के संबंध में अनुबंधित स्वीकृतियां तथा अन्य समान दीर्घावधि दायित्व जिसके भुगतान का दायित्व तुलन पत्र की तारीख पर 12 मास से अधिक की अवधि में आती है।

(2) यदि आस्तियों को प्रतिभूति के रूप में प्रभारित किया जाता है अथवा दायित्व के समनुरूप विलंगमित किया जाता है तो इस तथ्य का भी कथन किया जाना चाहिए ।

(3) यदि स्वीकृतियां सरकार, किसी सरकारी अभिकरण, बैंक, संस्थान अथवा अन्य निकाय/अस्तित्व द्वारा पुनर्भुगतान के लिए गारंटी दी जाती है, तो इस तथ्य को भी कथन किया जाना चाहिए ।

(4) तुलन पत्र की तारीख के एक वर्ष के भीतर सम्यक् रकम को पृथक रूप से प्रकट किए जाने की आवश्यकता है ।

अनुसूची-7 चालू दायित्व और उपबंध

क. चालू दायित्व

1. स्वीकृतियां	इस उप शीर्ष के अंतर्गत लेखीवाल के आदेश के विनिमय पत्र पर लेखीवाल की आस्ति होगी ।
2. विविध लेनदार (क) माल के लिए (ख) अन्य	इस उप शीर्ष के सामने दर्शायी जाने वाली राशियों में खरीदी गई वस्तुओं अथवा प्रदान की गई सेवाओं अथवा ठेका दायित्वों के संबंध में अन्य के पक्ष में आस्तित्व के स्वामित्व वाली राशियां सम्मिलित होंगी । इन्हें वस्तुओं के लिए पृथक किए जाने तथा पृथक रूप में दर्शाए जाने की आवश्यकता है ।
3. प्राप्त की गई अग्रिम राशि	इस उप शीर्ष के विपरीत दायित्व में प्राप्त रकम समाविष्ट होगी जिनके संबंध में जिसके लिए वस्तुओं की आपूर्ति दी जानी है या जिसके लिए मूल्य दिया जाना है और अग्रिम चंदा सम्मिलित है ।
4. उद्भूत ब्याज जो देय नहीं है (क) सुरक्षित ऋण/उधार असुरक्षित ऋण उधार ।	वर्ष के अंत तक उद्भूत ब्याज जो कि देय नहीं है सुरक्षित/असुरक्षित ऋण एवं उधार सम्मिलित हैं ।
5. कानूनी दायित्व (क) अतिशोध्य (ख) अन्य	इसमें अस्तित्व को शासित करने वाली केन्द्रीय/राज्य से संबंधित दायित्व समाविष्ट हैं और आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्त्रोत से काटे गए कर के लिए भुगतान न की गई देयता, बैधानिक बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, उपादान, एसएसआई यूनिटों के अपने अतिशोध्य पर ईएसआई ब्याज, बिक्रीकर, एक्सरसाइज़, सीमा शुल्क एवं अन्य कानूनी उदग्रहण । अतिशोध्य दायित्व गैर-विवादित रकम होती हैं जो देय होती हैं और जो सामान्य देय तारीख/ अनुबंधित अवधि से अधिक न दी हुई रहती है अर्थात जो व्यतिक्रम में होती हैं ।
6. अन्य चालू दायित्व	इनमें अन्य उप शीर्षों द्वारा सम्मिलित न की गई राशियां सम्मिलित हैं । इस उप शीर्ष के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण राशि उसकी प्रवृति दर्शाते हुए पृथक रूप से दर्शायी जाए । पुस्तकों के अनुसार ओवर ड्रॉन बैंक अतिशेष; जहां अस्तित्व के पास कोई मंजूर सीमा/ओवर ड्रॉफ्ट सुविधाएं नहीं है को भी इस उप शीर्ष कैं अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा या "बुक बैलेंस की अधिकता में ओवर ड्रॉन बैंक अतिशेष" के रूप में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

टिप्पण-साधारण

चालू दायित्व वह होती है जो लघु अवधि के भीतर संदाय के लिए देय होती है, साधारणतया 12 मास से अधिक नहीं ।

ख. उपबंध

1. कराधान के लिए	वर्ष के अन्त तक कर मामलों की प्रस्थिति के आधार पर उपबंध किए जाने तथा बनाए रखे जाने वाले की आवश्यकता है।
2. उपदान	उपदान की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय दायित्व के लिए देयता के प्रावधान को वास्तविक आधार पर प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक व्यवस्था किए जाने का उपबंध है।
3. अधिवर्षिता/पेंशन	कर्मचारियों की अवधिवर्षिता के लिए देय प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।
4. संचित छुट्टी	कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी रोकड़ की देयता के उपबंधों को वास्तविक आधार पर उद्भूत किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक प्रसंस्करण व्यवस्था की गई है।
5. व्यावसायिक वारंटी/दावे	जहां अस्तित्व विक्रय हेतु वस्तुओं का उत्पादन/प्रसंस्करण कर रही है तो वह व्यावसायिक वारंटी जोखिम के प्रति उत्तरदायी है जिसे युक्तियुक्त/विवेक के आधार पर व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।
6. अन्य	इन्हें विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है और संदेहास्पद के लिए उपबंध सम्मिलित नहीं होगा जो कि सुसंगत आस्ति शीर्षों से कम किया जाएगा।

टिप्पण-साधारण

उपबंध आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण अथवा कमी के लिए प्रदत्त की गई अपलिखित लिखी अथवा बनाई गई रकम है या ज्ञात दायित्व की व्यवस्था द्वारा बनाई रखी गई रकम है जिसकी राशि को वास्तविक शुद्धता से अवधारित नहीं किया जा सकता।

आस्ति

अनुसूची-8 नियत आस्तियां

1.	भूमि	
	(क) फ्रीहोल्ड	जहां स्थावर संपत्ति की खरीद/अर्जन संयुक्त भुगतान के द्वारा किया जाता है, वहां भूमि लागत का उचित/विश्वसनीय अनुमान लगाना चाहिए और इसे अलग से दर्शाना चाहिए ।
	(ख) पट्टाधृति	यदि पट्टा की निरंतरता बनी रहती है, तो पट्टाधृति भूमि का क्रमिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिए ।
2.	भवन	
	(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	जहां तक संभव हो विभिन्न दरों पर मूल्य-ह्रास के उपबंध के लिए कारखानों एवं कार्यालय भवनों के अंतर करना चाहिए।
	(ख) लीजहोल्ड भूमि पर	भवन/परिसर वे होंगे जो पूर्णत:/आंशिक रूप से एन्टिटी के कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त होंगे और जिसमें "निवेश संपत्ति" सम्मिलित नहीं होगा ।
	(ग) स्वामित्व फ्लैट्स/परिसर	पट्टाधृति भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर को इस प्रकार कम करना चाहिए कि वह भूमि के परिशोधन के साथ समाप्त हो, यदि सुपरस्ट्रक्चर का जीवन घाटा नहीं हैं ।
	(घ) वैसी भूमि जिस पर सुपरस्ट्रक्चर स्थित हैं, किन्तु जो अस्तित्व में सम्मिलित नहीं हैं ।	भवनों में सड़क, सेतु एवं कटवर्ट सम्मिलित होंगे ।
3.	संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर	इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगे –अर्थ मूविंग मशीनरी –बॉयलर –फर्नेस –जेनरेटर –डाइ/मोल्ड –भवन ठेका, हॉस्पिटल/क्लिनिक, प्रसंस्करण यूनिट, हाइड्रोलिक कार्य (पाइपलाइन सहित) जैसे विशिष्ट उद्योग/सेवाओं में प्रयुक्त मशीनरी –विनिर्माण/प्रसंस्कारण आदि के लिए प्रयुक्त अन्य मदें। –लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है ।
4.	वाहन	इस उप-शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी । –ट्रैक्टर/ट्रेलर –ट्रक, जीप और वैन –मोटर कार –मोटर साइकल, स्कूटर, तिपहिया वाहन और मोपेड –रिक्शा –लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है ।
5.	फर्नीचर, फिक्सचर	इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगी (क) कैबिनेट/अलमीरा/फाइलिंग टैक्स (ख) वातानुकूलन/वातानुकूलन संयंत्र (ग) एयर कूलर (घ) वाटर कूलर (ङ) मेज/कुर्सी/सोफा/कालीन (च) वोल्टेज स्टेबिलाइजर, यूपीएस सिस्टम (छ) अन्य मदें –लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है ।

6. कार्यालय उपस्कर	इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगी : (क) टाइपराइटर (ख) फोटोकॉपियर/डुप्लीकेटर (ग) फैक्स मशीन –लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के खुलासे को तात्विक उपस्कर के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।
7. कंप्यूटर/पेरिफेप्लस	कंप्यूटर, प्रिंटर एवं फ्लापी, सीडी, सॉफ्टवेयर आदि इस शीर्ष में सम्मिलित होंगी । –लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को तात्विक उपस्कर के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।
8. विद्युत संस्थापन	इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी : (क) विद्युत मशीनरी (ख) विद्युत प्रकाश/पंखा (ग) स्विच गियर इन्स्ट्रुमेन्ट्स (घ) ट्रांसफॉर्म (ङ) इलैक्ट्रिक वायरिंग और फिटिंग –लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के खुलासे को प्रोत्साहित किया जाता है ।
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	कुछ मामलों में पुस्तकालय की पुस्तकें बहुत अधिक हो सकती हैं या स्थापित पुस्तकालय भी हो सकता है। ऐसे मामलों में इन पुस्तकों को पृथक आस्ति प्रवर्ग में दर्शाना चाहिए । पुस्तकालय की पुस्तकों सीडी रॉम में संग्रहित पुस्तक जर्नल/सूचना सम्मिलित होंगी ।
10. ट्यूबवेल और प्रदाय प्रणाली	ट्यूबवेल और जलापूर्ति प्रणाली को पृथक प्रवर्ग के रूप में दर्शाया जा सकता है ।
11. जारी पूंजीगत कार्य	उनके आशयित उपयोग के लिए इस शीर्ष के लिए निर्माण कार्य में नियत आस्तियों को दर्शाना चाहिए । अर्जित संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर तथा लंबित संस्थापन को इसमें सम्मिलित करना चाहिए ।

टिप्पण-साधारण

1. नियत आस्तियां वे हैं जिन्हें उत्पादन या सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए रखा जाता है, और इन्हें व्यापार के सामान्य क्रम में बेचा नहीं जाता है ।
2. प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित दर्शाना चाहिए :
 (क) वर्ष के आरंभ में या मूल्यांकन
 (ख) वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (अर्जन एवं अनुदान–दोनों के जरिए)
 (ग) वर्ष के दौरान कटौती (विक्रय, निपटान, बट्टा सहित)
 (घ) वर्षांत में कुल लागत/मूल्यांकन
 (ङ) पिछले वर्ष के अंत में अवक्षयण, वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/कटौती तथा वर्षांत में कुल संचयी अवक्षयण
 (च) वर्षांत में आस्तियों का शुद्ध ब्लॉक
3. प्राप्त अनिर्मित नियत आस्तियों के लिए लेखा से संबंधित लेखा नीति (अनुदान या रियायती दर समेत) को अवक्षयण/क्रमिक अपाकरण के लिए अपनाई गई विधि के साथ दर्शाना चाहिए।
4. जहां पुन: मूल्य निर्धारण के कारण आस्तियों का पुन: लेखांकन हुआ है, उसके आधार बताना चाहिए और प्रत्येक तुलन-पत्र में संशोधन की तारीख एवं राशि के साथ पांच वर्षों के लिए संशोधित आंकड़े दर्शाना चाहिए ।

5. जहां विनिर्दिष्ट नियत आस्ति के संबंधित अनुदान प्राप्त होते हैं और ये आस्ति की पूरी लागत के बराबर है, तो नियत आस्ति को तुलन-पत्र में न्यूनतम मूल्य पर दर्शाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से अवक्षयण योग्य नियत आस्तियों से संबंधित अनुदान को स्थगित आय माना जाए तथा ऐसी आस्तियों के उपयोगी जीवन पर उपयुक्त आधार पर आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया जाए, अर्थात् ऐसे अनुदान क्रमिक अवधि में देने चाहिए।

अवक्षयण नहीं होने वाली आस्तियों के अनुदान को "पूंजी रिजर्व" में रखना चाहिए, यदि पूर्ति की आवश्यकता के लिए पूर्व-शर्त निर्धारित हो।

6. **अवक्षयण**

अवक्षयण की आस्तियों पर अवक्षयण प्रभार लगाया जएगा। अवक्षयण आस्तियों के मूल्य कम होने, समय-अपव्यय या तकनीक एवं बाजार प्रभारों के जरिए निर्धारित एक प्रभार है। इसमें आस्तियों का परिशोधन सम्मिलित है, जिसमें आस्तियों का निर्धारण एवं क्षरण सम्मिलित हैं।

इस प्रयोजन के लिए

(क) अवक्षयण आस्ति से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है :

(i) जिसका एक से अधिक लेखा अवधि में उपयोग होना आशातित है, और

(ii) जिसका जीवन उपयोग पूर्ण सीमित है, तथा

(iii) जिसे अस्तित्व द्वारा दूसरे को किराया देने या प्रशासनिक उद्देश्य से, न कि व्यवसाय/प्रचालन कार्य के लिए तथा सामानों एवं सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है।

(ख) अवक्षयण वाली आस्ति के अवक्षयण का अर्थ इसकी आरंभिक लागत या इसके बदले की राशि है, जो वित्तीय विवरण में अवक्षयित मूल्य से कम हो।

(ग) उपयोगी जीवन से अभिप्रेत है–

(i) वह अवधि जिसमें अवक्षयण वाली आस्ति को अस्तित्व द्वारा उपयोग किया जाना है, या

(ii) अस्तित्व द्वारा आस्ति के उपयोग से प्राप्त आशयित उन्हीं खदान यूनिटों की संख्या।

अनुसूची-9 निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान

1. **सरकारी प्रतिभूति**–इसमें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां तथा सरकारी खजाना बिल सम्मिलित हैं। ये प्रतिभूतियां लागत/बुक वैल्यू पर दर्शानी चाहिए। तथापि, ऐसे मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच अंतर तुलन-पत्र के टिप्पण में दर्शाना चाहिए।
2. **अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**–सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों को अनुमोदित प्रतिभूति माना जाए (न्यासी प्रतिभूति की तरह) और यहां सम्मिलित किया जाए।
3. **शेयर**–मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए।
4. **डिबेंचर एवं बंध-पत्र**–मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर निवेश डिबेंचर एवं बंध-पत्र।
5. **सहायक कंपनी और/या संयुक्त उद्यम**–सहायक कंपनियों/सहायक इकाइयों में विनिधान को यहां सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि इकाई बिना किसी वित्तीय निवेश के बंध/शासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण रखती है, तो उसे सहायक संयुक्त उद्यम इकाई माना जाएगा। यदि वर्ष के आरंभ में इकाई 25 प्रतिशत से अधिक निधि अपने पास रखती है, तो उसे सहायक कंपनी माना जाएगा।
6. **अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)**— इसमें अपशिष्ट विनिधान, यदि कोई हो, जैसे वाणिज्यिक कागज पत्र, म्यूचुअल फंड्स में निवेश विनिर्दिष्ट किया जाए तथा शेयर/डिबेंचर/बांड से भिन्न सम्मिलित हैं। संपत्ति में निवेश को भी यहां सम्मिलित किया जाएगा।

टिप्पण-साधारण

1. कुल मूल्य, कुल अवक्षयण तथा विनिधान को अलग-अलग दर्शाया जाए। अनुमोदित प्रतिभूतियों उपरोक्त 1 और 2 के अंतर्गत को मूल्य मे कमी के निर्धारण के लिए "स्थाई" एवं "चालू" समूह में बांटना अपेक्षित है।
2. (क) विनिधान "दीर्घकालिक" या "स्थाई" या "चालू" हो सकते हैं।

(ख) "चालू विनिधान से" का अर्थ है ऐसा विनिधान से जो शीघ्र प्राप्ति योग्य हो और विनिधान की तारीख से एक वर्ष तक रखा जा सके।

ऐसे विनिधान को उनके उचित मूल्य से कम मूल्य पर दर्शाना चाहिए जो विशिष्ट आधार पर तय किया जाएगा।

(ग) दीर्घकालिक विनिधान वे हैं जो चालू विनिधान से अलग हैं तथा जिन्हें पूंजीगत वृद्धि के प्रयोजन से उपयोग किया जाए। ऐसे विनिधान और कमी की जा सकती है अस्थायी से भिन्न प्रत्येक विनिधान में मूल्य में कमी हो।

3. निश्चित/विन्यास निधि के लिए विनिधान को अलग से दर्शाना चाहिए।
4. संपत्ति में विनिधान को नियत आस्ति में निवेश की तरह दर्शाया जाए।
5. आस्तित्व को विनिधान के संबंध में लेखा नीति दर्शाना होगा। दीर्घकालिक एवं चालू दोनों विनिधान के लिए।
6. स्थाई विनिधान के अर्जन पर दिए गए कोई भी प्रिमियम को उनकी परिपक्वता अवधि तक परिशोधन किया जाएगा।
7. प्राप्त नहीं किए गए परिपक्व विनिधान को अलग से प्रकट किया जाए।

अनुसूची-10 विनिधान अन्य

1. **सरकारी प्रतिभूति**–इसमें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां तथा सरकारी ट्रेजरी बिल सम्मिलित हैं। ये प्रतिभूतियां लागत/बुक वैल्यू पर दर्शानी चाहिए। तथापि, ऐसे मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच अंतर तुलन-पत्र के नोट में दर्शाना चाहिए।

2. **अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**–सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न अन्य प्रतिभूतियों को अनुमोदित प्रतिभूति माना जाए (जैसे न्यासी प्रतिभूति) और यहां सम्मिलित किया जाए ।

3. **शेयर**–मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए ।

4. **डिबेंचर एवं बंध-पत्र**–मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर निवेश डिबेंचर एवं बंध पत्र ।

5. **सहायक/संयुक्त उद्यम**–सहायक कंपनियों/सहायक इकाइयों में विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए । यदि इकाई बिना किसी वित्तीय निवेश के बंध/शासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण रखती है, तो उसे सहायक इकाई माना जाएगा ।

 यदि इकाई 25% से अधिक निधि वार्षिक आरंभ में पास रखती है, तो उसे सहायक कंपनी माना जाएगा ।

6. **अन्य**–इसमें शेष विनिधान, यदि कोई हो, जैसे वाणिज्यिक पत्र, पारस्परिक निधि में विनिधान तथा शेयर/डिबेंचर/बंध-पत्र से भिन्न सम्मिलित हैं। संपत्ति में विनिधान को भी यहां सम्मिलित किया जाएगा ।

टिप्पण-साधारण

1. सकल मूल्य, सकल अवक्षयण तथा विनिधान को अलग-अलग दर्शाया जाए । अनुमोदित प्रतिभूतियों को मूल्य में कमी के अवधारण के लिए "स्थाई" एवं "चालू" समूह में बांटना अपेक्षित है ।

2. (क) विनिधान "दीर्घकालिक" या "स्थाई" या "चालू" हो सकते हैं ।

 (ख) "चालू विनिधान" से ऐसे विनिधान अभिप्रेत है से जिसकी प्रकृति ऐसी हो कि उसकी वसूली शीघ्र हो और यह निवेश किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिए न हो।

 ऐसे विनिधान कम लागत या उसके उचित मूल्य पर दिखाए जाने चाहिए जिसका निर्धारण व्यक्तिगत विनिधान आधार पर होगा और इसमें कमी के लिए उपबंध होगा जबकि अधिमूल्य की उपेक्षा की जाएगी।

 (ग) दीर्घकालीन विनिधान वे है जो चालू विनिधान से अलग है और ये पूंजीगत अधिमूल्य व प्राप्ति के प्रयोजन के लिए होंगे।

 ऐसे विनिधान लागत पर आधारित होते हैं और प्रत्येक विनिधान में मूल्य-कटौती में कमी होने की दशा में, अस्थाई को छोड़कर, इसमें कमी की जायेगी।

3. निश्चित/विन्यास निधियों के लिए किये गए विन्यास को अनुसूची 9 में प्रकट किया जाता है।

4. संम्पतियों में विनिधान, यदि धारित हो, पर विनिधान को लागत रहित मूल्यह्रास के साथ उस प्रकार से दर्शाया जायेगा जैसा कि स्थायी आस्ति परिसम्पत्तियों के मामले में है।

5. अस्तित्व विनिधान, उनकी लागत, अवक्षयण और दीर्घ कालिक व वर्तमान दोनों विनिधान के लिए मूल्य आदि के संबंध में लेखा नीति को स्पष्ट करेगी।

6. स्थायी विनिधान की प्राप्ति पर भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम को उनकी परिपक्वता अवधि की तिथि तक समय-अनुपात आधार पर परिशोधित किया जायेगा।

7. वसूल न किये गये परिपक्व विनिधान को अलग-अलग प्रकट किया जाये।

IndiaCode

अनुसूची-11 चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(क) चालू आस्ति

1. माल सूची	माल सूची में कारोबार के दौरान विक्रय के लिए रखी गई, या ऐसे विक्रय के लिए उत्पा प्रक्रिया के दौरान रखी गई अथवा अनुरक्षण आपूर्तियों सहित विक्रय के लिए सामान या सेवा के उत्पादन में खपत के लिए रखी गई ठोस सम्पत्ति तथा मशीनरी भाग को छोड़कर उपभो पदार्थ सम्मिलित है।
(क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स	
(ख) छोटे-छोटे औजार	
(ग) व्यापार में स्टाक	मालसूचियों के मूल्यांकन का आधार प्रकट किया जाना चाहिए।
— फिनिश्ड माल	अंतिम माल में क्रय किया गया/उत्पादित किया गया माल और इन्टिटी के सभी स्थलों में मौ माल सम्मिलित होगा।
— कार्य प्रगति	
— कच्ची सामग्री	कच्ची सामग्री में विक्रय के लिए उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त हिस्सा या घटक भी सम्मिलित हों
2. अन्यान्य	देनदारों में वे व्यक्ति सम्मिलित है जिनसे धनराशियां माल बेचने अथवा सेवाएं प्राप्त क अथवा संविदात्मक बाध्यता के संबंध में देय है।
(क) छः माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	जिन ऋणों को वसूली के लिए अच्छा समझा गया है और जिन्हें संदेहास्पद समझा गया है उ
(ख) अन्य	अलग-अलग दर्शाया जायेगा। यदि संदिग्ध ऋणों के लिए उपबंध किये गये है तो इसे संदि समझे गये ऋणों से कम किया जाना चाहिए।
3. हाथ में नकद शेष (चैक/ड्राफ्टों और अग्रक्षय सहित)	
4. बैंक शेष	निश्चित/विन्यास निधियों के लिए रखे गये बैंक शेष को अलग-अलग प्रकट किया जाना चाहि
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	
— चालू खातों पर	जहां जमा खातों को प्रतिभूति के रूप में बन्धक या प्रमादित किया जाता है अथवा विल्लंगमित रखा जाता है तो तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए।
— जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)	
— बचत खातों पर	अतिरिक्त देय/परिपक्व निक्षेपों को अलग-अलग प्रकट किया जाना चाहिए।
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	
— चालू खातों पर	
— जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)	
— बचत खातों पर	
5. डाकघर खाते	

परिसम्पत्तियां

अनुसूची-11 चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि

(ख) ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां

1. ऋण	ऋण एवं अग्रिम जो कि अच्छे और वसूली योग्य समझे जाते हैं को प्रकट किया जाना चाहिए। संदिग्ध धनराशियों, यदि कोई हों, को प्रतयेक उप-शीर्ष के अंतर्गत बताया जाना चाहिए और उपबंध यदि कोई हो वहां से की जाने वाली कमी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।
(क) कर्मचारी वृंद	ब्याज वाले कर्मचारी वृंद ऋणों पर अर्जित ब्याज का इसके बावजूद भी लेखा रखा जाना चाहिए कि ब्याज की वास्तविक वसूलियां मूलधन की वसूली के पश्चात् आरम्भ होती है।
(ख) इन्टिटी के समान कार्य/ उद्देश्य प्राप्ति में लगी अन्य इन्टिटी	इस प्रकार की अस्तित्व के अपरिवर्तनीय अनुदानों/सहायिकों/चन्दे इसमें सम्मिलित नहीं होगें। यदि ब्याज धारण हो, वर्ष के अंत तक अर्जित ब्याज को समायोजित किया जाना चाहिए ।
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
2. नकद या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य धनराशियाँ	
(क) पूंजीगत खाते पर	पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के लिए अग्रिम को इस उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।
(ख) पूर्व भुगतान	इसमें पूर्वदत्त व्यय सम्मिलित है ।
(ग) अन्य	इसमें देनदार को छोड़कर अन्य प्राप्तियां सम्मिलित होंगी ।
3. उदभूत आय	वर्ष के अंत तक ''उदभूत आय व देय'' दोनों आय तथा ''उदभूत आय लेकिन अदेयं आय को इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए ।
(क) निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर	
(ख) निवेश अन्य	निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर आय और अन्य निवेश पर आय को अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिएं ।
(ग) ऋण व अग्रिम पर	यदि वसूली या अनंतिम संग्रहण के संबंध में अनिश्चितता है तो आय की पहचान नहीं की जानी चाहिए और यदि पहचान की जाती है तो इसके लिए उपबंध किये जाने चाहिए लाभांश की पहचान उनकी घोषणा की तिथि पर आधारित होनी चाहिए । उदभूत आय और देय लेकिन वसूली न की गई आय को अलग-अलग स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
(घ) अन्य (इसमें अप्राप्य देय आय सम्मिलित है रुपये।)	
4. प्राप्य दावे	केवल वही दावे सम्मिलित किये जाने चाहिएं जिन्हें अच्छा और वसूली योग्य समझा गया है।

आय और व्यय खाता - आय

अनुसूची-12 विक्रय/सेवाओं से आय

विक्रय से आय

1. विक्रय से आय	विक्रय में प्रभावित विक्रय की कुल राशि समाविष्ट है। इन्हें व्यावसायिक छूट, छूट और प्रतिफल काटने के पश्चात् निवल दर्शाया जायेगा ।
(क) अंतिम माल का विक्रय	
(ख) कच्ची सामग्री का विक्रय	
(ग) स्क्रेप का विक्रय	विक्रय तब पूर्ण होती है जब माल की सुपुर्दगी या भुगतान के समय का संबंध रखे बगैर मुख्य जोखिमों और स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रयकर्ता से क्रेता को हो जाता है ।
	निर्यात विक्रय को अलग से स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

2. सेवाओं से आय	आय को सकल आकड़ों में दर्शाया जाना चाहिए और आरम्भ में की गई कर-कटौती को रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए ।
(क) श्रम व संसाधन प्रभार	अन्य अस्तित्वों के माल/सामग्रियों के ससांधन/निर्माण के लिए वसूली योग्य श्रम व स प्रभार इस उप-शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किये जाने चाहिए ।
(ख) वृत्तिक/परामर्शी सेवाएं	अस्तित्व द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के परामर्शी प्रभार व फीस इस उप शीर्ष केअंतर्गत सम्मि किये जाने चाहिए ।
(ग) अभिकरण का कमीशन व दलाली	यदि अस्तित्व दूसरों के माल/सेवाओं की आपूर्ति व्यवस्था के लिए दलाल अथवा अभिक रूप में कार्य करती है, अर्थात् बिना सिद्धांत-दर-सिद्धांत आधार पर कार्य करती है तो क व दलाली से प्राप्त आय को इस उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जायेगा ।
(घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/सम्पति)	जहां अस्तितव अथवा सम्पति के अनुरक्षण ठेके लेती है तो इस स्रोत से वर्ष के अंत तक आय इस उप शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने चाहिए ।
(ङ) आय (विनिर्दिष्ट करें)	

अनुसूची-13 अनुदान/सहायकी

(प्राप्त परिवर्तनीय अनुदान व सब्सिडी)

1. केन्द्रीय सरकार	पूर्व अवधियों में किये गये खर्च को पूरा करने अथवा अपरिवर्तनीय आधार पर अस्ति साधारण प्रयोजनों और लक्ष्यों के लिए प्राप्त अनुदान, सहायकी या अन्य समान सहायता क अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा ।
2. राज्य सरकार	
3. सरकारी अभिकरण	इन अनुदानों से इनकी समुपयोजन संबंधी कोई शर्तें जुड़ी नहीं हैं और ये स्वाभव में वापस जाने वाली धनराशि है जिसे कि आय में विनियोजित किया जाना है।
4. संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	
5. अंतराष्ट्रीय संगठन-	सकल प्राप्तियां प्रत्येक उप शीर्ष में दर्शाई जायेगी और अनुदान/सहायिकी पर विचार ज अपरिवर्तनीय आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों को क्रम से प्रदान की गई है व्यय के ह अनुसूची 22 में विचार किया जाना चाहिए ।
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

आय एवं व्यय लेखा-आय

अनुसूची-14 फीस/चन्दा

1. प्रवेश फीस	प्रत्येक मद पर लेखा नीतियों को प्रकट करना चाहिए ।
2. वार्षिक शुल्क/चन्दे	यदि प्रवेश शुल्क, चंदे जैसे फीस स्वभाव से पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो ऐसी धनराशियां निधि/पूंजी निधि में जानी चाहिए ।
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	
4. परामर्शी फीस	यदि अस्तितव को मुख्य क्रियाकलापों के रूप में सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन कर और/अथवा परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है तो ऐसी आय अनुसूची 12 का भाग होनी च
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	सकल प्राप्तियां यहां दर्शाई जानी चाहिएं । सेमिनार/कार्यशाला, परामर्शी सेवाओं पर कि खर्च अनुसूची 21 में "अन्य प्रशासनिक व्यय" के रूप में दर्शाये जाने चाहिए ।

आय और व्यय लेखा-आय

अनुसूची-15 विनिधान से आय

1. ब्याज	1. विनिधान से आय का कुल अंक में प्रकटन किया जाएगा और स्रोत पर कर कटौती को अलग से बताया जाए।
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: क. ब्याज की अंतिम तारीख तक कूपन दर पर अर्जित ब्याज अर्थात् उद्भूत और देय ब्याज; और ख. इसके बाद कूपन दर पर वर्ष के अंत तक उद्भूत ब्याज ।
(ख) अन्य बंध पत्र/डिबेंचर्स	3. बंध पत्र एवं डिबेंचरों पर आय में छूट पर जारी बंध पत्र पर वर्ष के अंत तक अर्जित छूट सम्मिलित होगी, जो शर्तों के आधार पर सममूल्य अथवा प्रीमियम पर विमोच्य होगी।
2. लाभांश	4. घोषणा की तारीख तापीय साम्या द्वारा प्राप्त करने के अधिकार के आधार पर लाभांश बढ़ेगा।
(क) शेयरों पर	
(ख) पारस्परिक निधि प्रतिभूतियां	
3. किराये	5. किराये को संपत्तियों, यदि कोई हो, पर विनिधान संबंधी आय के रूप में दर्शाया जाएगा।
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	6. विलंबित/परिपक्व विनिधानों पर दावा किए गए ब्याज को तब तक मान्यता नहीं मिलेगी, जब तक कि ऐसी मान्यता के लिए पूर्व शर्तों का समाधान नहीं हो जाता है। 7. विनिधान पर आय के संबंध में भेद किया जाए : क. विनिधान के माध्यम से अपनाया गया; और ख. अस्तित्व/विन्यास निधियों के विरूद्ध धारित । 8. वर्ष के अंत में निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर कुल आय अनुसूची के माध्यम से निधियों में अंतरित की जाए ।

आय और व्यय लेखा-आय आदि से आय

अनुसूची-16 स्वामित्व, प्रकाशन आदि से आय

स्वामित्व से आय	प्रत्येक मद पर लेखा नीतियों को प्रकट करना होगा ।
प्रकाशन से आय	यदि संस्था विशेष के प्रमुख कार्यकलाप पुस्तकों, पत्रों, दस्तावेजों आदि का प्रकाशन है तो ऐसी आय अनुसूची-12 का भाग होगी।
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	सकल प्राप्तियों को यहां दर्शाना चाहिए। प्रकाशन आदि पर उपगत व्यय को अनुसूची 21 में "अन्य प्रशासनिक व्यय" के रूप में दर्शाया जाए।

अनुसूची-17 अर्जित ब्याज

1. सावधि जमा	1. ब्याज के रूप में अर्जित आय को दर्शाया जाए और स्रोत पर काटे गए कर को पृथक रूप से बताया जाए।
(क) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	
(ख) गैर-अनुसूचित बैंक	
(ग) संस्थाओं के साथ	
(घ) अन्य	
2. बचत खातों पर	2. आय के संबंध में प्रभेद किया जाए :
(क) अनुसूचित बैंक	क. अस्तित्व द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति पर ; और
(ख) गैर-अनुसूचित बैंक	ख. निश्चित/विन्यास निधियों के मुकाबले धारित
(ग) डाकघर बचत खाता अन्य	
(घ) अन्य	
3. ऋण पर	
(क) कर्मचारी/कर्मचारिवृंद	
(ख) अन्य	
4. ऋणदाताओं और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	

अनुसूची-18 अन्य आय

1. आस्ति विक्रय/निपटान पर लाभ	बिक्री/वसूली, आस्तियों का शुद्ध अंकित मूल्य, यदि अधिशेष है, इसे उप शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
(क) स्वामित्व वाली आस्तियां	
(ख) अनुदान और नि:शुल्क प्राप्ति के अलावा अर्जित आस्तियां	
2. निर्यात प्रोत्साहन	दावा किए गए निर्यात प्रोत्साहनों, जो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुए, को आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस	प्रकीर्ण आय में सम्मिलित सामग्री गत मदों को अलग से प्रकट किया जाए।
4. प्रकीर्ण आय	

आय एवं व्यय लेखा-आय

अनुसूची-19 अंतिम माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति

(क) अंतिम स्टॉक	स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में लेखा नीतियों की घोषणा की जानी चाहिए।
— अंतिम माल	
— कार्य प्रगति	
(ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक	
— अंतिम माल	
— कार्य में प्रगति	

अनुसूची-20 अवस्थापना संबंधी व्यय

(क) वेतन एवं मजदूरी	प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारिवृंद को सहित प्रत्येक शीर्ष के लिए सकल व्यय का प्रकट किया जाए।
(ख) भत्ते एवं बोनस	
(ग) भविष्यनिधि में अंशदान	भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवानिवृत्ति कार्यों आदि के लिए अस्तित्व की कानूनी बाध्यता को भी स्पष्ट रूप से मदवार प्रकट किया जाए।
(घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	
(ङ) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	जुर्माना दंड आदि वसूली के मामले में उसे सूची 18 में व्यय शीर्ष से घटा दिया जाए लेकिन "अन्य आय" के अंतर्गत शामिल किया जाए।
(च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत प्रसुविधाएं संबंधी व्यय	
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण-साधारण

समय पूर्व मदें-

पूर्व अवधि तथा असाधारण मदों को पृथक से प्रकट किया जाएगा ताकि वर्ष के लिए शुद्ध व्यय पर उसके प्रभाव का पता चल सके।

IndiaCode

अनुसूची-21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(क) क्रय	प्रत्येक शीर्ष के विपरीत कुल व्यय को प्रकट किया जाना चाहिए।
(ख) श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय	
(ग) कार्टिज और वहन वाइर्स	वसूलियों के मामले में उदाहरणार्थ किराया वसूली, वसूल किए गए भाड़ा प्रभार, जुर्माना, दण्ड, आपूर्तिकर्ताओं की ओर से क्षति आदि के मामले में, इन वसूलियों की राशि को व्यय शीर्षों में से घटाया नहीं जाना चाहिए बल्कि "सूची 16 के अंतर्गत अन्य आय" में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
(घ) विद्युत एवं शक्ति	
(ङ) जल शुल्क	
(च) बीमा	
(छ) मरम्मत और अनुरक्षण	
(ज) उत्पाद शुल्क	पूर्व अवधि एवं असाधारण मदों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा ताकि वर्ष के लिए व्यय पर उसका प्रभाव पता चल सके।
(झ) किराया, दर एवं कर	
(ञ) वाहन चलाना एवं देखरेख	
(ट) डाक, टेलीफोन एवं संचार प्रभार	शीर्षों की सूची पूरी नहीं है बल्कि उदाहरणार्थ है। जहां तक हो सके लेखों के केवल इन्हीं शीर्षों का प्रयोग किया जाना चाहिए जब तक कि इन शीर्षों को जोड़ने पर हटाने के कारण न हों।
(ठ) मुद्रण एवं स्टेशनरी	
(ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	
(ढ) सेमीनार/कार्यशालाओं पर व्यय	*उत्पादन तथा व्यापार की गई सम्पूर्ण वस्तुओं के लिए कच्ची सामग्री स्टोर के बीच क्रयों को पृथक किया जाना चाहिए। निर्माता अस्तित्वों के मामले में, कच्चे पदार्थों एवं स्टोर की खपत क्रयों के बजाय दिया जा सकता है।
(ण) चन्दा व्यय	
(त) फीस पर व्यय	
(थ) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	
(द) आतिथ्य व्यय	
(ध) वृत्तिक प्रभार	
(न) खराब एवं संदेहजनक ऋण/अग्रिम के लिए उपबंध	
(प) बट्टे खाते में डाली गई/वसूल न की गई शेष राशियां	
(फ) पैकिंग प्रभार	
(ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	
(भ) वितरण व्यय	
(म) विज्ञापन और प्रचार	
(य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

अनुसूची-22 अनुदान, सब्सिडियों आदि पर व्यय

(क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	अपरिवर्तनीय आधार पर अस्तित्व के सामान्य उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान, सहायिका अथवा अन्य समान सहायता । प्रत्येक मामले में राशियों सहित संस्थाओं/संगठनों के नाम उनकी गतिविधियों का प्रकटन किया जाना चाहिए ।
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिका	ये अनुदान आदि उनके उपयोग से संबंद्ध शर्तों सहित या रहित है। और गैर-वापसी राशियों की प्रकृति के हैं जिन्हें व्यय के रूप में अलग किया जाना है। सूची 13 में प्रत्येक उप-शीर्ष के सामने दर्शायी गई सकल प्राप्तियां अपरिवर्तनीय आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों को दिए जाने वाले इन अनुदानों/सहायिका के साधन हो सकते हैं । प्रत्येक शीर्ष के सामने सकल का प्रकटन किया जाना चाहिए ।

आय और व्यय लेखा-व्यय

अनुसूची-23 ब्याज

(क) नियत ऋणों पर	(1) ब्याज में प्रतिबद्धता प्रभार सम्मिलित होंगे।
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	(2) नियत ऋण वे ऋण होते हैं जो कि एक निर्धारित अवधि के लिए होते हैं जैसे कि निर्धारित अवधि के ऋण आदि ।
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	(3) सूची 23 के अनुसार ब्याज के माध्यम से व्यय प्रकट किए जाने की न्यूनतम आवश्यकता है। सूची 4 और सूची 5 में शीर्षों के अनुसार ऋणों एवं मांगों के साधनों के आधार पर व्यय किए गए ब्याज को दर्शाने के लिए अस्तित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

अनुसूची-26 आकस्मिक बाध्यताएं एवं लेखे पर टिप्पण

	(क) आकस्मिक देयताएं	
1.	अस्तित्व के विरुद्ध दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गए हैं ।	
2.	भागत: संदत्त विनिधानों की बाध्यता	भागत: संदत्त शेयरों, डिबेन्चरों आदि पर बाध्यता का कथन किया जाना अपेक्षित है ।
3.	बकाया फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं के कारण बाध्यता	वर्ष के अंत में लागू विनियम दरों पर बकाया फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं की राशि का कथन किया जाना चाहिए ।
4.	बकाया गारंटियां तथा साख पत्र	अस्तित्व द्वारा अथवा उसकी ओर से दी गई गारंटियों की बाध्यता और वर्ष के अंत में बकाया साख पत्र दर्शाए जाने अपेक्षित है ।
5.	छूट वाले बिल	वर्ष के अंत में बकाया छूट वाले बिलों को दर्शाए जाने की आवश्यकता है ।
6.	अन्य मदें जिनके लिए अस्तित्व निरंतर दायी है	इसमें कानूनी तथा अन्य मांग, दावे, पुन: छूट प्रदान किए गए बिल, अंतर-लेखन संविदाओं तथा अन्य वस्तुओं के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं जिनके लिए अस्तित्व निरंतर उत्तरदायी है इसमें सम्मिलित किए जाएंगे ।
	(ख) लेखे पर टिप्पण	
1.	पूंजी लेखा पर प्रतिबद्धताएं नहीं दी गई हैं।	यह निबंधन की शर्तों/व्यवस्थाओं में होगा जिसके संबंध में परिसम्पतियों के अर्जन/निर्माण के लिए राशियां दी जाएंगी । अग्रिम शुद्ध राशियों को प्रकट किया जाना अपेक्षित है ।
2.	अन्य नोट	

[फा. सं. 10/2/04-ई.एम.]

हरीश चंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2007

G.S.R. 173(E).— In exercise of the powers conferred by clause (p) of Sub-section (2) of Section 56 and sub-section (1) of Section 25 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) 'Audit Officer' means the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Bureau;

(c) 'Bureau' means the Bureau of Energy Efficiency constituted under Section 3 of the Act;

(d) "Director-General" means the Director-General of the Bureau appointed under Section 9 of the Act;

(e) "Finance and Accounts Officer" means the Finance and Accounts Officer of the Bureau or any other officer authorized to exercise the powers of the Finance and Accounts Officer;

(f) "Form" means a form appended to these rules;

(g) "Secretary" means the Secretary of the Bureau of Energy Efficiency appointed under Section 9 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Accounts of the Bureau.— (1) The Bureau shall prepare the annual statement of accounts for every financial year commencing with 2004-05. The Director General of the Bureau may authorize the Finance and Accounts Officer to prepare the accounts on his behalf.

(2) The Secretary of the Bureau shall supervise the maintenance of the accounts of the Bureau, the compilation of financial statement and return, and shall ensure that all accounts, books, connected vouchers and other documents and papers of the Bureau required by the audit officer for the purpose of auditing the accounts of the Bureau are placed at the disposal of that officer.

(3) The annual statement of accounts duly approved by the Governing Council of the Bureau and after certification by the Comptroller and Auditor General of India or his authorized representative, shall be submitted by the Director-General of the Bureau to the Central Government by 15th November of each year or such other date as may be specified by the Central Government from time to time.

(4) (a) The Bureau shall prepare the following financial statements alongwith necessary Schedules, notes on accounts and significant accounting policies in accordance with the common format of financial statements prescribed by the Government of India, Ministry of Finance, Controller General of Accounts, namely :—

(i) Balance Sheet in Form-A,

(ii) Income and Expenditure Account in Form-B,

(iii) Receipt and Payment Account in Form-C.

(b) The authorized signatories to sign and authenticate the 'Receipts and Payment Account', 'Income and Expenditure Account' and 'Balance Sheet' shall be Finance and Accounts Officer, Secretary and Director-General of the Bureau;

(c) The Bureau shall prepare these financial statements in accordance with the notes, instructions and accounting policies for compilation of financial statements as detailed in the common format of financial statements and the instruction issued by the Central Government from time to time.

4. Audit of Accounts.— (1) The Annual statement of accounts shall be submitted to the Audit officer on or before the 30th June, following year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Bureau and report thereon.

(2) The Bureau shall, on receipt of the Audit Report, take action to remedy any defect or irregularity pointed out therein and submit the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report and action taken note thereon to the Governing Council for approval.

(3) The Annual Statement of Accounts, together with the Audit Report and action taken note thereon, duly approved by the Governing Council, shall be included in the Annual Report of the Bureau and submitted to the Central Government by 15th November of each year or such other date as may be specified by the Central Government from time to time.

FORM A

[See Rule 3(4)(a)(i)]

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH

(Amount Rs.)

Corpus/Capital Fund and Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	—	—
Reserves and Surplus	2	—	—
Earmarked/Endowment Funds	3	—	—
Secured Loans and Borrowings	4	—	—
Unsecured Loans and Borrowings	5	—	—
Deferred Credit Liabilites	6	—	—
Current Liabilities and Provisions	7	—	—
TOTAL		—	—
ASSETS			
Fixed Assets	8	—	—
Investments—from Earmarked/Endowment Funds	9	—	—
Investments—Others	10	—	—
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	—	—
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		—	—
TOTAL		—	—
Significant Accounting Policies	25		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	26		

FORM B

[See Rule 3(4)(a)(ii)]

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH

(Amount Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/Services	12	—	—
Grants/Subsidies	13	—	—
Fees/Subscriptions	14	—	—
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/ endowment funds transferred to funds)	15	—	—
Income from Royalty, Publication etc.	16	—	—
Interest Earned	17	—	—
Other Income	18	—	—
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	—	—
TOTAL (A)		—	—

(Amount-Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	—	—
Other Administrative Expenses etc.	21	—	—
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	—	—
Interest	23	—	—
Testing	24	—	—
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to schedule 8)			
TOTAL (B)		—	—
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)			
Transfer to Special Reserve (Specify each)		—	—
Transfer to/from General Reserve		—	—
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		—	—
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	25		
CONTINGENT, LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	26		

FORM C

[See Rule 3(4)(a)(iii)]

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH

(Amount - Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
1	2	3	4	5	6
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
(a) Cash in Hand	—	—	(a) Establishment Expenses (Corresponding to Schedule 20)	—	—
(b) Bank Balances			(b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 21)	—	—
(i) In current accounts	—	—			
(ii) In deposit accounts	—	—			
(iii) Savings accounts	—	—			
II. Grants Received			**II. Payments made against funds for various projects**	—	—
(a) From Government of India	—	—	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of		
b) From State Government	—	—	payments made for each project)		
(c) From other sources (details) (Grants of capital & revenue expenditure to be shown separately)	—	—			
III. Income on Investments from			**III. Investments and deposits made**		
(a) Earmarked/Endowment Funds	—	—	(a) Out of Earmarked/ Endowment funds	—	—
(b) Own Funds (Other Investment)	—	—	(b) Out of Own Funds (Investment-Others)	—	—
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
(a) On Bank deposits	—	—	(a) Purchase of Fixed Assets	—	—
(b) Loans, Advances etc.	—	—	(b) Expenditure on capital work-in-progress	—	—

1	2	3	4	5	6
V. Other Income (Specify)	—	—	**V. Refund of surplus money/loans**	—	—
			a) To the Government of India	—	—
			b) To the State Government	—	—
			c) To other providers of funds	—	—
VI. Amount Borrowed	—	—	**VI. Finance Charges (Interest)**	—	—
VII. Any other receipts (give details)	—	—	**VII. Other Payments (Specify)**	—	—
			VIII. Closing Balances		
			a) Cash in Hand	—	—
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts	—	—
			ii) In deposit accounts	—	—
			iii) Savings accounts	—	—
Total	—	—	**Total**	—	—

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 1 - CORPUS FUND/CAPITAL FUND	**Current Year**		**Previous Year**	
Balance as at the beginning of the year		—		—
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	—		—	
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	—		—	
		—		—
BALANCE AS AT THE YEAR - END		—		—
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS				
1. Capital Reserve :				
As per last Account	—		—	
Addition during the year	—		—	
Less: Deductions during the year	(—)	—	(—)	—
2. Revaluation Reserve :				
As per last Account	—		—	
Addition during the year	—		—	
Less: Deductions during the year	(—)	—	(—)	—
3. Special Reserves :				
As per last Account	—		—	
Addition during the year	—		—	
Less: Deductions during the year	(—)	—	(—)	—
4. General Reserve :				
As per last Account	—		—	
Addition during the year	—		—	
Less: Deductions during the year	(—)	—	(—)	—
TOTAL		—		—

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP				TOTALS	
	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
(a) Opening balance of the funds	—	—	—	—	—	—
(b) Additions to the Funds :						
i. Donations/grants	—	—	—	—	—	—
ii. Income from investments made on account of funds	—	—	—	—	—	—
iii. Other additions (specify nature)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (a+b)	—	—	—	—	—	—
(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure						
—Fixed Assets	—	—	—	—	—	—
—Others	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
ii. Revenue Expenditure						
—Salaries, wages and allowances etc.	—	—	—	—	—	—
—Rent	—	—	—	—	—	—
—Other Administrative expenses	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
TOTAL (c)	—	—	—	—	—	—
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)	—	—	—	—	—	—

Notes

(1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

(2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year	Previous Year
1. Central Government	—	—
2. State Government (Specify)	—	—
3. Financial Institutions		
(a) Term Loans	—	—
(b) Interest Accrued and due	—	—
4. Banks :		
(a) Term Loans	—	—
—Interest accrued and due	—	—
(b) Other Loans (Specify)	—	—
—Interest accrued and due	—	—
5. Other Institutions and Agencies	—	—
6. Debentures and Bonds	—	—
7. Others (Specify)	—	—
TOTAL	—	—

Note: Amounts due within one year.

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 5—UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year	Previous Year
1. Central Government	—	—
2. State Government (Specify)	—	—
3. Financial Institutions	—	—
4. Banks :		
(a) Term Loans	—	—
(b) Other Loans (Specify)	—	—
5. Other Institutions and Agencies	—	—
6. Debentures and Bonds	—	—
7. Fixed Deposits	—	—
8. Others (Specify)	—	—
TOTAL	—	—

Note: Amounts due within one year.

SCHEDULE 6—DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year	Previous Year
(a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	—	—
(b) Others	—	—
TOTAL	—	—

Note: Amounts due within one year.

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 7—CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	—	—
2. Sundry Creditors:		
(a) For Goods	—	—
(b) Others	—	—
3. Advances Received	—	—
4. Interest accrued but not due on		
(a) Secured Loans/borrowings	—	—
(b) Unsecured Loans/borrowings	—	—
5. Statutory Liabilities:		
(a) Overdue	—	—
(b) Others	—	—
6. Other current Liabilities	—	—
TOTAL (A)	—	—
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	—	—
2. Gratuity	—	—
3. Superannuation/Pension	—	—
4. Accumulated Leave Encashment	—	—
5. Trade Warranties/Claims	—	—
6. Others (Specify)	—	—
TOTAL (B)	—	—
TOTAL (A+B)	—	—

IndiaCode

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2007

SCHEDULE 8-FIXED ASSETS (Amount-Rs.)

Description	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET	
	Cost/ valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at beginning of the year	Depreciation during the year other than grant-in-kind assets	Depreciation during the year on assets (grants-in-kind) [effect shown in balance-sheet]	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
A. FIXED ASSETS :										
1. LAND										
(a) Freehold	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(b) Leasehold	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
2. BUILDINGS										
(a) On Free Hold Land	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(b) On Leasehold Land	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(c) Ownership Flats/Premises	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
4. VEHICLES	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
5. FURNITURE, FIXTURES	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
6. OFFICE EQUIPMENT	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
7. COMPUTER/SOFTWARE/PERIPHERALS	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
8. ELECTIC INSTALLATIONS	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
9. LIBRARY BOOKS	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
11. OTHER FIXED ASSETS	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL OF CURRENT YEAR	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
PREVIOUS YEAR	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS										
TOTAL									—	—
(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)									—	—

IndiaCode

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 9—INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND	Current Year	Previous Year
1. In Government Secruities	—	—
2. Other approved Securities	—	—
3. Shares	—	—
4. Debentures and Bonds	—	—
5. Subsidiaries and Joint Ventures	—	—
6. Others (to be specified)	—	—
TOTAL	—	—

SCHEDULE 10-INVESTMENTS OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	—	—
2. Other Approved Securities	—	—
3. Shares	—	—
4. Debentures and Bonds	—	—
5. Subsidiaries and Joint Ventures	—	—
6. Others (to be specified)	—	—
TOTAL	—	—

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT ASSETS				
1. Inventories				
(a) Stores and Spares	—		—	
(b) Loose Tools	—		—	
(c) Stock-in-trade				
Finished Goods	—		—	
Work-in-progress	—		—	
Raw Materials	—	—	—	—
2. Sundry Debtors				
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	—		—	
(b) Others	—	—	—	—
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		—		—
4. Bank Balances				
(a) With Scheduled Banks				
—On Current Accounts	—		—	
—On Deposit Accounts (includes margin money)	—		—	
—On Savings Accounts	—	—	—	—
(b) With Non-Scheduled Banks				
—On Current Accounts	—		—	
—On Deposit Accounts (includes margin money)	—		—	
—On Savings Accounts	—	—	—	—
5. Post Office-Savings Accounts—		—		—
TOTAL (A)		—		—

IndiaCode

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year		Previous Year	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans				
(a) Staff	—		—	
(b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	—		—	
(c) Other (specify)	—	—	—	—
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				
(a) On Capital Account	—		—	
(b) Prepayments	—		—	
(c) Others	—	—	—	—
3. Income Accrued				
(a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	—		—	
(b) On Investments-Others	—		—	
(c) On Loans and Advances	—		—	
(d) Others	—	—	—	—
(includes income due unrealised-Rs.....)				
4. Claims Receivable		—		—
TOTAL (B)		—		—
TOTAL (A+B)		—		—

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 12—INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year	Previous Year
1. Income from Sales		
(a) Sales of Finished Goods	—	—
(b) Sale of Raw Material	—	—
(c) Sale of Scraps	—	—
2. Income from Services	—	—
(a) Labour and Processing Charges	—	—
(b) Professional/Consultancy Services	—	—
(c) Agency Commission and Brokerage	—	—
(d) Maintenance Services (Equipment/Property)	—	—
(e) Others (specify)	—	—
TOTAL	—	—

IndiaCode

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 13—GRANTS/SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
(Irrevocable Grants and Subsidies received)		
1. Central Government	—	—
2. State Goverment(s)	—	—
3. Government Agencies	—	—
4. Institutions/Welfare Bodies	—	—
5. International Organisations	—	—
6. Others (specified)	—	—
TOTAL	—	—

(Amounts-Rs.)

SCHEDULE 14—FEES/SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Ye
1. Entrance Fees	—	—
2. Annual Fees/Subscriptions	—	—
3. Seminar/Program Fees	—	—
4. Consultancy Fees	—	—
5. Others (Specify)	—	—
TOTAL	—	—

Note : Accounting Policies towards each item are to be disclosed.

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 15—INCOME FROM INVESTMENTS	Investment from Earmarked fund		Investment-Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)				
1. Interest				
(a) On Govt. Securities	—	—	—	—
(b) Other Bonds (Debentures)	—	—	—	—
2. Dividends				
(a) On Shares	—	—	—	—
(b) On Mutual Fund Securities	—	—	—	—
3. Rents	—	—	—	—
4. Others (Specify)	—	—	—	—
TOTAL	—	—	—	—
Transferred to Earmarked/Endowment Funds	—	—	—	—

(Amount-Rs.

SCHEDULE 16—INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Current Year	Previous Ye
(a) Income from Royalty	—	—
(b) income from Publications	—	—
(c) Others (Specify)	—	—
TOTAL	—	—

IndiaCode

(Amount-Rs.)

SCHEDULE 17—INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits	—	—
(a) With Scheduled Banks	—	—
(b) With Non-Scheduled Banks	—	—
(c) With Institutions	—	—
(d) Others	—	—
2. On Savings Accounts		
(a)With Scheduled Banks	—	—
(b) With Non-Scheduled Banks	—	—
(c) Post Office Savings Accounts	—	—
(d) Others	—	—
3. On Loans		
(a) Employees/Staff	—	—
(b) Others	—	—
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
TOTAL	—	—

Note : Tax deducted at source to be indicated

(Amount-Rs.)

SCHEDULE 18—OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
1. Profiton sale/disposal of Assets	—	—
(a) Owned assets	—	—
(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	—	—
2. Export Incentives realized	—	—
3. Fees for Miscellaneous Services	—	—
4. Miscellaneous Income	—	—
TOTAL	—	—

SCHEDULE 19—INCREASE/DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current Year	Previous Year
(a) Closing Stock		
— Finished Goods	—	—
— Work-in-progress	—	—
(b) Less : Opening stock	—	—
— Finished Goods	—	—
— Work-in-progress	—	—
Net Increase/Decrease [a+b]	—	—

(Amount-Rs.)

SCHEDULE 20—ESTABLISHMENT EXPENSES	Current year		Previous year	
	(I & E)	(R & P)	(I & E)	(R & P)
(a) Salaries and Wages	—	—	—	—
(b) Allowances and Bonus	—	—	—	—
(c) Contribution to Provident Fund	—	—	—	—
(d) Contribution to Other Fund (Specify)	—	—	—	—
(e) Staff Welfare Expenses	—	—	—	—
(f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	—	—	—	—
(g) Others (specify)	—	—	—	—
TOTAL	—	—	—	—

IndiaCode

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 21—OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	Current year (I & E)	Current year (R & P)	Previous year (I & E)	Previous year (R & P)
(a) Purchases	—	—	—	—
(b) Labour and Processing Expenses	—	—	—	—
(c) Cartage and Carriage Inwards	—	—	—	—
(d) Electricity and Power	—	—	—	—
(e) Water Charges	—	—	—	—
(f) Insurance	—	—	—	—
(g) Repairs and Maintenance	—	—	—	—
(h) Excise Duty	—	—	—	—
(i) Rent, Rates and Taxes	—	—	—	—
(j) Vehicle Running and Maintenance	—	—	—	—
(k) Postage, Telephone & Communication Charges	—	—	—	—
(l) Printing & Stationery	—	—	—	—
(m) Travelling and Conveyance Expenses	—	—	—	—
—Overseas Committee	—	—	—	—
—Officers & Staff Members	—	—	—	—
—Committee Members	—	—	—	—
(n) Expenses on Seminars/Workshops	—	—	—	—
(o) Subscription Expenses	—	—	—	—
(p) Expenses on Fees	—	—	—	—
(q) Auditor Remuneration	—	—	—	—
(r) Hospitality Expenses	—	—	—	—
(s) Professional Charges	—	—	—	—
(t) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances	—	—	—	—
(u) Irrecoverable Balances Written-off	—	—	—	—
(v) Packing Charges	—	—	—	—
(w) Freight and Forwarding Expenses	—	—	—	—
(x) Distribution Expenses	—	—	—	—
(y) Advertisement and Publicity	—	—	—	—
(z) Others (specify)	—	—	—	—
TOTAL	—	—	—	—

(Amount

SCHEDULE 22—EXPENDITURE ON GRANT, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Y
(a) Grants given to Institutions/Organisations	—	
(b) Subsidies given to Institutions/Organisations	—	
TOTAL	—	

Note —Name of the Entities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

IndiaCode

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 23—INTEREST		Current Year	Previous Year
(a)	On Fixed Loans	—	—
(b)	On Other Loans (including bank charges)	—	—
(c)	Other (specify)	—	—
	TOTAL	—	—

SCHEDULE 24—EXPENDITURE ON TESTING		Current Year	Previous Year
(a)	Testing fee paid to outside laboratories	—	—
(b)	Market Samples	—	—
(c)	Laboratory apparatus and stores	—	—
	TOTAL	—	—

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED AS AT 31ST MARCH

SCHEDULE 25—SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVENTORY VALUATION

2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.

2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net reliable value. The cost are based on weighted averaged cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

3. INVESTMENTS

3.1 Investments classified as "long term investment" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

3.2 Investment classified as "current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year-end.

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at value stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. DEPRECIATION

6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency, liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

6.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on prorata basis.

6.3 Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

9. GOVERNMENT GRANTS OR SUBSIDIES

9.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

9.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts Rs._____ (Previous year Rs. _____)

1.2 In respect of .
Bank guarantee given by/on behalf of the Entity Rs._____ (Previous year Rs. _____)
Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity Rs. _____ (Previous year Rs. _____)
Bills discounted with Banks Rs._____ (Previous year Rs._____)

1.3 Disputed demands in respect of :
Income Tax Rs. _____ (Previous year Rs. _____)

Sales Tax Rs._____ (Previous year Rs. _____)
Municipal Taxes Rs._____ (Previous year Rs. _____)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders but contested by the Entity Rs. _____ (Previous year Rs._____)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs._____ (Previous year Rs. _____)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs._____ (Previous year Rs. _____)

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loan and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income Tax Act, 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(Amount Rs.)

		Current Year	Previous Year
6.1	Value of imports calculated on C.I.F. Basis		
	— Purchase of finished goods		
	— Raw materials & components (including in transit)		
	— Capital Goods		
	— Stores, Spares and Consumables		
6.2	Expenditure in foreign currency		
	a) Travel		
	b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/Banks in Foreign Currency		
	c) Other expenditure		
	— Commission on Sales		
	— Legal and professional expenses		
	— Miscellaneous Expenses		
6.3	Earnings		
	Value of Exports on FOB basis		
6.4	Remuneration to auditors		
	As Auditors		
	— Taxation matters		
	— For Management services		
	— For certification		
	Others		

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped rearranged/wherever necessary.

8. Schedules 1 to 26 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

NOTES, INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS

(1) The financial statements (viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) shall be prepared on accrual basis; and shall be in the form suggested, or as near thereto as possible.

If the information required to be given under any of the item or sub-item in this Form cannot be conveniently included in the Balance Sheet or the Income and Expenditure account itself, as the case may be, it can be furnished in a separate Schedule or Schedules to be annexed to and forming part of the Balance Sheet or the Income and expenditure Account. This is recommended where items are numerous.

(2) A statement of all significant accounting policies adopted in the preparation of the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account shall be included in the financial statements, and the significant Accounting Policies should be disclosed at one place. Accounting Policies refer to the specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by the Entity in the preparation of the financial Statements. Where any of the accounting policies is not in conformity with accounting standards, and the effect of departures from accounting standards is material, the particulars of the departure shall be disclosed, together with the reasons therefor and the financial effect thereof, except where such effect is not ascertainable.

(3) Accounting policies shall be applied consistently from one financial year to the next. Any change in the accounting policies which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in latter periods, shall be disclosed. In case of change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statements is affected by such change shall also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be disclosed.

IndiaCode

(4) The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by the legal form.

(5) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.

(6) Provision shall be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with substantial accuracy (and the amount of provision represents only a best estimate in the light of available information).

'Provision' means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

Provisions shall be made for contingent loss if :

(a) it is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable recovery, an asset has been impaired or a liability has been incurred at the balance sheet date, and

(b) a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.

If either of the above conditions is not met, the existence of the contingent loss shall be disclosed by way of a note to the Income and Expenditure account, unless the possibility of the loss is remote.

7. Where any amount written off or retained by way of depreciation, renewals or diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability is in excess of the amount which is considered reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated as a reserve and not as a provision.

8. Revenue shall not be recognized unless :

(a) the related performance has been achieved;

(b) no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration; and

(c) it is not unreasonable to expect realisation and ultimate collection.

9. Separate disclosure shall be made in the Income and Expenditure Account in respect of :

(a) "Prior period" items, which comprise material item of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.

(b) "Extra-ordinary" items which are material items of income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

(c) Any item under the head "Miscellaneous Expenses" which exceeds 1 per cent of the total turnover/ gross income of entity or Rs. 50,000/- whichever is higher. This shall be shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

(d) Any item under the head "Miscellaneous Expenses" which exceeds 1 per cent of the total turnover/ gross income of entity or Rs. 50,000/- whichever is higher. This shall be shown as a separate and distinct item against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

(10) The Schedules referred to in the form, the accounting policies and explanatory notes shall form an integral part of the financial statements.

(11) Notes to the Balance Sheet and the Income and expenditure Account shall contain the Explanatory material pertaining to the items in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account.

(12) The figure in the Balance Sheet and Income and expenditure Account, if rounded off, shall be rounded off as below :

Amount of turnover (in Rs)	Rounding off to (Rs.)
Less than One lakh	Hundred
One lakh or more but less than one crore	Thousand
One crore or more but less than one hundred crore	Lakh
One hundred or more but less than on thousand crore	Crore

(13) Reference may also be made to the enclosed Notes and Instructions for compilation in relation to in the formats suggested.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR SCHEDULES

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

(a) Corpus/Capital Fund is akin to Capital, Share Capital or Owners' Funds. It comprises amounts received by way of contributions specifically to the Corpus, as increased/decreased by the net operating results shown in the Income and Expenditure Account (other than surplus, if any transferred to any Reserves or Earmarked Funds).

(b) The Opening Balance, Additions to, Deductions from and Closing Balance of the Corpus/Capital Fund shall be shown under this head.

(c) Additions to the Corpus Fund shall be net of transfers, if any, to any Reserve or Earmarked Fund required under statute or as per applicable regulations.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR SCHEDULES

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

1. CAPITAL RESERVES:

- Opening Balance
- Additions during the year
- Deductions during the Year

The expression 'capital reserves' shall not include any amount regarded as free for distribution through the Income and Expenditure Account. Surplus on revaluation should be treated as Capital Reserve and shown separately. Surplus on translation of financial statements of foreign branches, if any, is not a revaluation reserve.

2. REVALUATION RESERVE:

- Opening Balance
 Additions during the year

To reflect effects of changing prices, fixed assets otherwise stated at historical costs, are revalued and the historical cost substituted by a revaluation, normally done by competent valuers. Such substitution resulting in an upward revaluation is required to be shown as a "Revaluation Reserve"

- Deductions during the year

This reserve is an unrealized gain and should not be credited as income in the Income and Expenditure Account.

3. SPECIAL RESERVES:

- Opening Balance
- Additions during the year
- Deductions during the year

These would comprise Special reserves requires to be created pursuant to any statutory or regulatory. requirement applicable to the Entity; and if so, should be clarified in the Notes on Accounts in Schedule 27.

4. GENERAL RESERVE:

- Opening Balance
- Additions during the year
- Deductions during the year

The expression 'General Reserve' shall mean any reserve other than capital reserve and revaluation reserve.

This item will include all reserves, other than those separately classified.

Notes - General

(a) Movements in various categories of reserves should be shown as indicated in the schedule.

(b) The expression 'reserve' shall not include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR THE SCHEDULES

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 3—EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Amount received as grants or assistance, or retained by the entity to be utilized for specific or earmarked purposes and remaining to be expended/utilized for the specific purpose for which these are intended, are required to be disclosed under this head. Such funds may be received in cash or kind from Government, Govt. agencies, institutions and other agencies etc. and are subject to compliance by the entity, of certain stipulated terms and conditions. For this reason, the balances available and their utilization should be disclosed in the manner suggested in the Schedule. The Plan Funds received from the Central and/or State Governments are to be shown as distinct category of Fund.

Other plan funds earmarked/endowed for any chair, house, building, Trust etc. are to be shown as distinct category of Fund.

The following shall not be reckoned as part of Earmarked Funds :

(a) Grants/funds which have the characteristics of promoters' contribution which are of the nature of additions/ to the accretion Corpus Fund;

(b) Funds/grants received by the Entity as compensation for expenditure/losses incurred in the earlier years, as these would be reckoned only in the Income and Expenditure Account for the year.

(c) Non-monetary grants by way of capital assets or other resources, corresponding credit of which is of the nature of capital reserve, unless such grants are specified as irrevocable contribution to the Corpus.

Notes -General

(a) It is appropriate to ensure that the accretions to and utilization of earmarked funds is in accordance with the terms and conditions attaching to the same.

(b) Earmarked Funds, considered their nature, are represented by specifically earmarked investments or other assets.

(c) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

(d) Records relating to fixed assets acquired/constructed should be maintained for each earmarked fund. However, for the purpose of the annual financial statements disclosure may be made of the aggregate accumulated cost up to each year and of such fixed assets in respect of each fund, unless the assets are taken over and are incorporated in Schedule 8.

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 4—SECURED LOANS AND BORROWINGS

1. Central Government	Indicate the nature of security and terms of repayment. Indicate the name of
2. State Government	State Govt. and nature of security and terms of repayment.
3. Financial Institutions	Includes borrowings/refinance obtained from Industrial Development Bank of India, Export-Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development (including liability against participation certificates, if any). Normally these may be in the form of Term Loans.
4. Banks	
(a) Term Loans	Includes borrowings/ refinance obtained from commercial banks (including co
(b) Other Loans	operative banks). Term Loans need to be segregated from other facilities.
5. Other institutions and agencies	Includes institutions/agencies other than those mentioned above.
6. Debentures and Bonds	The terms of redemption of debentures and bonds should be stated with the earliest date of their redemption.

Notes - General

(a) Information shall be given in each case as regards the nature of security given.

(b) Secured loans and borrowings shall be such as are against hypothecation/pledge/charge on the assets of the entity.

(c) The aggregate amount of loans under each head, as are guaranteed by the Central/State Govt. may also be mentioned along with the fact that these are so guaranteed.

(d) Loans and borrowings include refinance from institutions and agencies and liability against participation certificates.

(e) Amount received by way of discount of debtors or receivables or rediscount of bills, shall not be shown as borrowings.

(f) Interest accrued and due shall be included under each sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of current liabilities.

(g) Unreconciled inter-branch outstanding entries at credit should not be shown as borrowings.

(h) Amount due within a period of less than 12 months as at the balance sheet date need to be disclosed.

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 5—UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

1.	Central Government	Indicate the terms of repayment
2.	State Government(s)	Indicate name of the State Government and the terms of repayment.
3.	Financial Institutions	Includes borrowings obtained from Industrial Development Bank of India, Export-Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development. Normally these may be in the form of term loans, pending creation of a charge on assets, bridge loans may be given as 'unsecured' loans.
4.	Banks	Includes borrowings obtained from Commercial Banks (including Cooperative Banks) Indicate the nature of facilities. Overdrawn balances as per books do not constitute loans and generally arise due to cheques issued in excess of book balances. Such balances can be shown as loans only where the entity enjoys or is granted overdraft facility.
5.	Other institutions and agencies	Includes loans from institutions/agencies other than those mentioned above.
6.	Debentures and Bonds	The terms of redemption of debenture and bonds should be stated with the earliest date of their redemption.
7.	Fixed Deposits	These comprise deposits received from public or otherwise for fixed periods and against no security.

Notes-General

(a) Unsecured loans and borrowings comprise amounts in respect of which no assets of the entity is charged as security or encumbered.

(b) Interest accrued and due shall be included under each sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of current liabilities.

(c) Amount due within a period of less than 12 months as at the balance sheet date need to be disclosed.

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 6—DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(1) Acceptances and other similar long-term obligations contracted in respect of acquisition of assets, the liability for payment of which falls in periods longer than 12 months as at the date of the balance sheet should be included here.

(2) If the assets are charged as security or encumbered corresponding to the liability, this fact should be stated.

(3) If the acceptances are also guaranteed for repayment by the Government, any Govt. agency, bank, institution or other body/entity, this fact should also be stated.

(4) Amount due within one year of the date of the balance sheet need to be separately disclosed

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 7—CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

A. CURRENT LIABILITIES

1.	Acceptances	Included under this sub-head would be the drawer's assent on bills of exchange to the order of the drawer.
2.	Sundry creditors (a) For goods (b) Others	The amounts to be shown against this sub-head shall comprise amounts owned by the entity in favour of others on account of goods purchased or services rendered or in respect of contractual obligations. These need to be segregated for goods' and shown separately.
3.	Advance received	The liability against this sub-head shall comprise amounts received in respect of which goods or services have yet to be supplied/rendered or for which value has yet to be given, and includes advance subscriptions.

4.	Interest accrued but not due (a) Secured Loans/Borrowings (b) Unsecured Loans/Borrowings	Includes interest accrued up to the year-end but not due secured/unsecured loans and borrowings.
5.	Statutory Liabilities (a) Overdue (b) Others	These comprise liabilities in term of the Central/State laws governing the Entity; and includes unpaid liability for tax deducted at source under the Income Tax Act, 1961, statutory bonus, provident fund, pension, gratuity, ESI interest to SSI Units on their overdue, sales tax, exercise, customs duty, and other statutory levies. Overdue liabilities are undisputed amounts which are due and remain unpaid beyond the normal due date/stipulated period i.e. those are in default.
6.	Other Current Liabilities	These would include amounts not covered by the other sub-heads. Any material amount included under this sub-head may be separately shown indicating the nature thereof. Overdrawn bank balances as per books, where the entity does not have any sanctioned limits/overdraft facilities, shall also be included under this sub-head, or separately disclosed as "Overdrawn bank balances in excess of book balances".

Notes - General :

A Current Liability is one which falls due for payment within a relatively short period, normally not more than 12 months.

B. PROVISIONS

1.	For Taxation	Provision needs to be made and retained based on the status of Tax matters as at the year-end.
2.	Gratuity	Provision for liability towards gratuity payable on death/retirement of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year-end.
3.	Superannuation/Pension	Provision for liability payable towards superannuation of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year end.
4.	Accumulated Leave	Provision for liability towards accumulated leave encashment of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year-end.
5.	Trade Warranties/Claims	Where the entity is manufacturing/processing goods for sale, it may be liable to trade warranty risks, which need to be provided for on a reasonable/rational basis.
6.	Others	These need to be specified, and shall not include provision for doubtful debts/advances, which shall be reduced from the relevant asset heads.

Notes - General

Provision is an amount written off or retained by way of providing for depreciation or diminution in the value of assets, or retained by way of providing for a known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

ASSETS

SCHEDULE 8—FIXED ASSETS :

1.	LAND	
	(a) Freehold	Where immovable properties are purchased/acquired by paying a composite cost, a reasonable/reliable estimate should be made of the land cost and shown separately.
	(b) Leasehold	Leasehold land should be amortised over the period of lease unless the lease is in perpetuity.
2.	BUILDINGS	
	(a) On freehold land	As far as practicable, distinction may be made between factory and office buildings for purposes of provision for depreciation at different rates.

(b) On leasehold land	Buildings/premises shall be those which are intended to be wholly/partly used for the purposes of the activities of the Entity and would not include "Investment Properties".
(c) Ownership Flats/Premises	Superstructures on leasehold lands should be depreciated to be co-terminus with the amortization of land, unless the superstructures have a shorter life.
(d) Superstructures on Land Not belonging to the Entity	Buildings shall include roads, bridges, and culverts.
3. PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	included under this Sub-head would be items like : - Earth moving Machinery - Boilers - Furnaces - Generators - Dyes/Mould - Machinery used for specific industry/services like Building contractors, in hospitals/clinics, processing units, hydraulic works (including pipelines), Tool rooms. - Other items used for manufacture/processing etc. Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.
4. VEHICLES	Included under this Sub-head would be items like : - Tractors/Trailers - Trucks, Jeeps and Vans - Motor Cars - Motor Cycles, Scoters, Three Wheelers and Mopeds - Rickshaws Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.
5. FURNITURE, FIXTURES	Included under this Sub-head would be items like : (a) Cabinets/Almirahs/Filing Racks (b) Air-Conditioners/Air Conditioning Plant (c) Air Coolers (d) Water Coolers (e) Tables/Chairs/Sofas/Carpets (f) Wooden partitions/temporary structures (g) Voltage Stabilisers, UPS Systems. (h) Other Items Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.
6. OFFICE EQUIPMENT	Included under this Sub-head would be items like : (a) Typewriters (b) Photocopiers/duplicators (c) Fax Machines Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.

7.	COMPUTER/PERIPHERALS	Computers, Printers and their peripherals like the Floppies, CDs, Software etc. would be the items under this head. Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material equipment.
8.	ELECTRIC INSTALLATIONS	included under this Sub-head would be items like : (a) Electrical Machinery (b) Electric Lights/Fans (c) Switch gear instruments (d) Transformers (e) Electric Wiring and fittings Separate Account heads should be maintained in respect of the above items and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.
9.	LIBRARY BOOKS	In some cases the number of Library Books could be very large or there may be an established Library. In such cases these books may be disclosed as a separate category of assets. Library books will include books/journals/ information stored in CD ROMs.
10.	TUBEWELLS & W. SUPPLY SYSTEM	Tubewells and Water Supply Systems may be shown as a distinct category.
11.	CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	Fixed assets in the course of construction should be shown against this head till they are ready for their intended use. Plant, machinery and equipment acquired and pending installation should also be included here.

Notes - General

1. Fixed Assets are those assets which are held with the intention of being used for the purpose of producing or providing services and not held for sale in the normal course of trade.
2. Under each sub-head should be shown :
 (a) the cost or the valuation as at the beginning of the year.
 (b) additions during the year (both acquisitions and by way of grants)
 (c) deductions (including sales, disposals, write-offs) during the year.
 (d) the total cost/valuation as at the year-end.
 (e) depreciation up to the previous year-end, that on additions/deductions during the year and the total accumulated depreciation up to the year-end.
 (f) the net block of the assets as at the year-end.
3. The accounting policy relating to accounting for fixed assets acquired (including by way of grants or at concessional rates), or constructed should be disclosed along with the method adopted for depreciation/ amortization.
4. Where sums have been written up for any assets due to their revaluation, the basis thereof should be disclosed; and every balance sheet after the first Balance Sheet subsequent to the revaluation should show the revised figures for a period of five years with the date and amount of revision.
5. Where grants relating to specific fixed assets are received and these are equal to the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the Fixed assets should be shown in the Balance Sheet at a nominal value.

 Alternatively; grants relatable to depreciable fixed assets may be treated as deferred income and recognized in the Income and Expenditure Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets i.e. such grants should be allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation is charged.

 Grants relatable to non-depreciable assets should be credited to "Capital Reserve", unless there are pre-conditions requiring fulfilment.

6. Depreciation

Depreciation shall be provided so as to charge the depreciable amount of a depreciable asset over its useful life.

Depreciation is a measure of the wearing out, consumption or other loss of value of a depreciable asset arising from use, effluxion of time or obsolescence through technology and market charges. It includes amortization of assets the useful life of which is determined and depletion of wasting assets.

For this purpose :

(a) Depreciable asset means an asset which—

i. is expected to be used during more than one accounting period, and

ii. has a limited useful life; and

iii. is held by the entity for use in the production or supply of goods and services, for rental to others, or for administrative purpose and not for the purpose of sale in the ordinary course of its business/operating activities.

(b) depreciable amount of a depreciable asset means its original cost, or other amount substituted for original cost in the financial statements less the residual value.

(c) Useful life means either—

i. the period over which a depreciable asset is expected to be used by the Entity, or

ii. the number of production or similar units expected to be obtained from the use of the asset by the Entity.

SCHEDULE 9—INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS :

1.	Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance Sheet.
2.	Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3.	Shares	Investments in shares of companies and corporations not included in item 2 should be included here.
4.	Debentures and Bonds	Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not included in item 2 should be included here.
5.	Subsidiaries and/or joint ventures	Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a 'subsidiary' or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment therein. An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that entity is held by the entity as at the beginning of the year.
6.	Others (to be specified)	Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investment in Properties, if any, would also be included here.

Notes - General

1. The Gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately disclosed. Approved securities (covered by 1 and 2 above) are required to be bifurcated into "permanent" and "current" categories for valuation and determination of shortfall in value.

2. (a) Investments can either be "Long term" or "permanent" or "Current".

(b) "Current Investment" means an investment which is by its very nature, readily realizable and is intended to be held for not more than one year from the date on which it is made.

Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and ... shortfall shall be provided, while appreciation shall be ignored.

(c) Long-term investments are those investments which are other than current investments, and these are intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield.

Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each investment.

3. Investments held against earmarked/endowment funds need to be separately disclosed.

4. Investment in properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case of fixed assets.

5. The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value - both for long-term & current investments.

6. Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on acquisition shall not be amortised.

7. Matured investments, not realized may be separately disclosed.

SCHEDULE 10—INVESTMENT - OTHERS:

1.	Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance sheet.
2.	Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3.	Shares	Investments in shares of companies and corporations not included in item 2 should be included here.
4.	Debentures and Bonds	Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not included in item 2 should be included here.
5.	Subsidiaries and joint ventures	Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a 'subsidiary' or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment therein. An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that entity is held by the entity as at the beginning of the year.
6.	Others	Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investment in Properties, if any, would also be included here.

Notes - General

1. The Gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately disclosed. Approved securities [covered by 1 and 2 above] are required to be bifurcated into "permanent" and "current" categories for valuation and determination of shortfall in value.

2. (a) Investments can either be "Long term" or "permanent" or "Current".

(b) "Current Investment" means an investment which is by its very nature, readily realizable and is intended to be held for not more than one year from the date on which it is made.

Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and the shortfall shall be provided, while appreciation shall be ignored.

(c) Long-term investments are those which are other than current investments and these are intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield.

Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each investment.

3. Investments held against earmarked/endowment funds are disclosed in Schedule 9.

4. Investment in Properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case of fixed assets.

5. The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value - both for long-term and current investments.

6. Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on acquisition shall not be amortised.

7. Matured investments, not realized may be separately disclosed.

SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC:

A. CURRENT ASSETS

1. Inventories :	Inventories comprise tangible property held for sale in the ordinary course of business, or in the process of production for such sales, or for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance supplies and consumable other than machinery parts
(a) Stores and Spares	
(b) Loose Tools	
(c) Stock-in-trade	Basis of valuation of inventories should be disclosed
- Finished Goods - Work-in-Progress	Finished goods would include goods purchased/produced and lying in hand at all loans of the entity
- Raw Materials	Raw materials would also include parts or components used or consumed in the process of production of goods for sale
2. Sundry Debtors :	Debtors comprise persons from whom amounts are due for goods sold or services rendered or in respect of contractual obligations
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months (b) Others	Debts considered good for recovery and those considered doubtful shall be shown separately. Provision for Doubtful debts, if made, should be shown as a reduction from the amount of debts considered doubtful.
3. Cash balance in hand :	
(including cheques/drafts and imprest)	
4. Bank Balances :	Amounts held as bank balances against earmarked/endowment funds should be separately disclosed.
(a) With Scheduled Banks	
- On Current Accounts	
- On Deposit Accounts (includes margin money)	Where any deposit accounts are pledged or charged as security or are encumbered, the fact should be disclosed
- On Savings Accounts	Overdue/Matured Deposits should be separately disclosed
(b) With Non-Scheduled Banks	
- On Current Accounts	
- On Deposit Accounts	
(includes margin money)	
- On Savings Accounts	
5. Post Office-Savings Accounts :	

ASSETS

SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS

1. Loans	Loans and Advances as are considered good and recoverable should be disclosed. Doubtful amounts, if any, should be stated under each sub-head, and provision if made, should be shown as a reduction therefrom
(a) Staff	Interest accrued on interest bearing staff loans should be accounted notwithstanding that actual recoveries of interest might commence after repayment of principal.
(b) Other entities engaged in activities/ objectives similar to that of the entity	Irrevocable grants/subsidies/donation to such entities shall not be included here. If interest-bearing, the amount of interest earned up to the year-end should be adjusted.
(c) Other (specify)	
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :	
(a) On Capital Account	Advances to suppliers/contractors for capital works should be shown against this sub-head
(b) Prepayments	This includes prepaid expenses.
(c) Others	This would comprise receivables other than the debtors.
3. Income accrued :	Both 'Income accrued and due' and 'income accrued but not due' up to the year-end should be included under this head.
(a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds	
(b) On Investments-Others	Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds and that on Other Investment should by shown separately.
(c) On Loans and Advances	
(d) Others (includes income due unrealized-Rs..)	If uncertainty attaches to realization or ultimate collection, income should not be recognized, and if recognized, should be provided for Dividends should be recognized based on the date(s) of their declaration
	Separate disclosure should be made in respect of income accrued, due but not realized.
4. Claims Receivable :	Only claims, which are considered good and realizable, should be included.

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT-INCOME

SCHEDULE 12—INCOME FROM SALES/SERVICES

INCOME FROM SALES :

1. Income from Sales (a) Sale of finished Goods	Sales comprise the aggregate amount for which sales are effected. These would be shown net of trade discounts, rebate and returns.
(b) Sale of Raw materials	
(c) Sale of Scraps	Sales are complete when significant risks and regards of ownership get transferred from the seller to the buyer, irrespective of the time of payment or delivery of the goods
	Disclosure of export sales should be made separately

2.	Income from Services	Income must be shown at gross figures and Tax Deducted at Source should be indicated separately
	(a) Labour and Processing Charges	Labour and processing charges realizable for processing/fabrication of goods/materials of other entities should be disclosed against this sub-head
	(b) Professional/consultancy Services	Consultancy charges and fee for rendition of professional services by the entity should be included under this sub-head.
	(c) Agency Commission and brokerage	Where the entity acts as a broker or agent for arranging supply of goods/ services of others, i.e. without acting on a principal to principal basis, the commission and brokerage income earned would be shown against this sub-head.
	(d) Maintenance Services (Equipment/ Property)	Where the entity undertakes maintenance contracts for equipment or property etc. the income earned up to the year-end from this source should be included under this sub-head.
	(e) Others (Specify)	

SCHEDULE 13—GRANTS/SUBSIDIES:

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

1.	Central Government	Grants, Subsidies or other similar assistance received for the general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, or to cover expenditure incurred in prior periods, shall be included in this Schedule.
2.	Stage Government(s)	
3.	Government Agencies	These grants etc. are without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non-refundable amounts which are to be appropriated to income.
4.	Institutions/Welfare Bodies	
5.	International Organisations	The gross receipt shall be shown against each sub-head, and grants/ subsidies which are given in turn to other institutions/organizations on irrevocable basis, as expenditure should be considered in Schedule 22.
6.	Others (Specify)	

SCHEDULE 14—FEES/SUBSCRIPTIONS:

1.	Entrance fees	Accounting policies on each item will have to be disclosed.
2.	Annual Fees/subscriptions	In case the Fees like Entrance Fee, subscriptions etc. are in the nature of capital receipt, such amount should go to the Corpus Fund/Capital Fund. Otherwise such fees will be incorporated in this schedule.
3.	Seminar/Program Fees	
4.	Consultancy Fees	In case the major activities of the Entity are to organize seminar/workshop and/or provide consultancy services, such income should form part of the Schedule 12.
5.	Others (Specify)	The gross receipts should be sown here. Expenditure incurred on seminar/ workshops, consultancy etc. should be shown as other administrative expenses' in the Schedule 21.

SCHEDULE 15—INCOME FROM INVESTMENTS :

1. Interest	1. Income from investments shall be disclosed at gross figures and tax deducted at source is to be stated separately.
(a) On Govt. Securities	2. Interest on Govt. securities shall comprise (a) interest earned at coupon rate upto the last applicable date of interest, i.e. interest accrued & due; and (b) interest accrued thereafter upto the year-end at the coupon rate
(b) Other Bonds/Debentures	3. Income on bonds and debentures would include discount accrued upto the year-end on bonds issued at a discount, to be redeemed at par or on premium, based on the terms of their issue.
2. Dividends (a) on Shares (b) on Mutual fund Securities	4. Dividends shall be accrued, based on the dates of declaration thereof i.e. when the entity has a right to receive the same.
3. Rents	5. Rents shall be shown as income on Investment of properties, if any
4. Others (Specify)	6. Interest claimed on overdue/matured investments shall not be recognized unless pre-conditions for such recognition are satisfied 7. Distinction should be made in respect of income on Investments : a) Owned by the Entity; and b) those held against earned/endowment funds. 8. At the year-end total of the income on investment from earmarked/ endowment funds should be transferred to the funds through Schedule 3.

SCHEDULE 16—INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC :

1. Income from Royalty	Accounting policies on each item will have to be disclosed.
2. income from Publications	In case the major activities of the Entity are to publish books, journals, documents etc. such income should form part of the Schedule 12.
3. Others (Specify)	The gross receips should be shown here. Expenditure incurred on publication etc. should be shown as other administrative expenses' in the schedule 21.

SCHEDULE 17—INTEREST EARNED :

1. On Term Deposits : (a) With Schedules Banks (b) With Non-Scheduled Banks (c) With Institutions (d) Others	1. interest income earned should be shown a gross figures and tax deducted at source is to be stated separately.
2. On Savings Accounts : (a) With Schedules Banks (b) With Non-Scheduled Banks (c) Post Office Savings Accounts (d) Others	2. Distinction should be made in respect of income; a) on assests owned by the Entity; and b) those held against earmarked/endowment funds;
3. On Loans : (a) Employees/Staff (b) Others	
4. Interest on Debtors & Other Receivables	

SCHEDULE 18—OTHER INCOME:

1. Profit on Sale/disposal of Assets	Sales proceeds/realization, net of the book value of the assets shall, if a surplus, be included under this sub-head.
(a) Owned assets	
(b) Assets acquired out of grants or received free of cost	
2. Export incentives realized	Export incentives claimed and no realized upto the year-end shall not be included in Income.
3. Fees for Miscellaneous Services	Items of materials amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.
4. Miscellaneous Income	

SCHEDULE 19—INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK-IN-PROGRESS:

(a) Closing stock	Accounting policies regarding valuation of stock should be declared.
- Finished goods	
- Work-in-progress	
(a) Less : Opening Stock	
- Finished goods	
- Work-in-progress	

SCHEDULE 20—ESTABLISHMENT EXPENSES:

(a) Salaries and wages	The gross expenditure against each head including in respect of staff on deputation should be disclosed.
(b) Allowances and Bonus	
(c) Contribution to Provident Fund	
(d) Contribution to other fund (specify)	Statutory obligations of the entity towards provident fund, Employees' saate insurance, retirement benefits etc. should be disclosed clearly and item-wise.
(e) Staff Welfare expenses	
(f) Expenses on employees' Retirement and Terminal Benefits	In case of recoveries like fines, penalties etc. the same should not be deducted from the expense heads but included under 'Other Income' in the Schedule 18.
(g) Others (specify)	

Notes—General

Prior period items

Prior period and Extraordinary items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net expenditure for the year is known.

SCHEDULE 21—OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.

(a) Purchase*	The gross expenditure against each head should be disclosed
(b) Labour and processing expenses	
(c) Cartage and Carriage Inwards	In case of recoveries e.g. rent recoveries, freight charges recovered, fines, penalties, damages from suppliers etc. the amount of such recoveries should not be deducted from the expenses heads but included under "Schedule 16-"Other Income"
(d) Electricity and Power	
(e) Water charges	
(f) Insurance	
(g) Repairs and maintenance	

(h)	Excise Duty	Prior period and Extraordinary Items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net Expenditure for the year is known.
(i)	Rent, Rates and Taxes	
(j)	Vehicles running and Maintenance	
(k)	Postage, Telephone and Communication Charges	The list of heads is not exhaustive but illustrative. As far as possible only these heads of account should be used unless there is compelling reasons to add or delete any of these heads.
(l)	Printing and Stationery	
(m)	Travelling and Conveyance Expenses	
(n)	Expenses on Seminar/Workshops	*Purchases should be segregated between raw materials and stores for manufacture and for finished goods traded in. In case of manufacturing entities, 'Consumption of Raw Materials' and 'Stores' may be given instead of 'Purchases'.
(o)	Subscription Expenses	
(p)	Expenses on Fees	
(q)	Auditors Remuneration	
(r)	Hospitality Expenses	
(s)	Professional Charges	
(t)	Provision for Bad and Doubtful debts/Advances	
(u)	Irrecoverable Balances Written-off	
(v)	Packaging Charges	
(w)	Freight and Forwarding Expenses	
(x)	Distribution Expenses	
(y)	Advertisement and Publicity	
(z)	Others (specify)	

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT—EXPENDITURE

SCHEDULE 22—EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(a) Grants given to Institutions/Organisations	Grants, Subsidies or other similar assistance given to the Institutions/ Organisations for general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, shall be included in this Schedule. Name of the Institutions/Organisations, their activities along with the amounts in each case should be disclosed
(b) Subsidies given to Institutions/ Organisations	These grants etc. are with or without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non-refundable amounts which are to be appropriated as expenditure. The gross receipts shown against each sub-head in the Schedule 13, could be the sources of the grants/subsidies that are given, in turn, to other institution/organizations on irrevocable basis. The gross expenditure against each head should be disclosed.

INCOME AND EXPNDITURE ACCOUNT—EXPENDITURE

SCHEDULE 23—INTEREST:

(a) On Fixed Loans	1. Interest would include commitment charges.
(b) On Other Loans (including Bank Charges)	2. Fixed Loans are loans which are for fixed period, like Term Loans.
(c) Others (specify)	3. Expenditure by way of interest as per Schedule 23 is the minimum disclosure requirement. The Entity should be encouraged to disclose interest expended asked on the sources of loans and borrowings as per the heads in Schedules 4 and 5.

SCHEDULE 26—CONTINGENT LIABILITIES, AND NOTES AND ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. Claims against the Entity not acknowledged as debts	———
2. Liability of partly-paid investments	Liability on partly paid shares, debentures etc. is required to be stated.
3. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	Amount of outstanding forward exchange contracts at the exchange rates applicable as at the year-end should be stated.
4. Guarantees and Letters of credit outstanding	Liability towards Guarantees given by the entity or on its behalf and Letter of Credits outstanding as at the year-end are required to be disclosed.
5. Bills discounted	Bills discounted outstanding as at the year-end need to be disclosed.
6. Other items for which the entity is contingently liable	Included here would be disputed statutory and other demands/claims, Bills rediscounted, commitments under underwriting contracts and other items for which the entity is contingently liable.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Commitment on capital Account not provided for	This would arise in terms of contracts/arrangements in terms of which amounts would have to be paid for acquisition/ construction of assets. The amount, net of advances is required to be disclosed.
2. Other Notes	

[F. No. 10/2/04-EM]

HARISH CHANDRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.